(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 346 नई दिल्ली, 30 दिसंबर 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तिओं का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा दिनांक 3 मार्च 2010 के अपने आदेश की समीक्षा के लिए गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को इसके साथ संलग्न ओदश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

(भारत का राजपत्र, असाधारण भाग III खंड 4 में प्रकाशनार्थ)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/31/2010-जीटीआईपीएल

मुंबई, नवंबर 2010

अधिसूचना

महात्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तिओं का उपयोग करते हुए महात्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, दिनांक 3 मार्च 2010 के अपने आदेश की समीक्षा के लिए गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमि. (जीटीआईपीएल) द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)

अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण संख्या टीएएमपी/31/2010-जीटीआईपीएल

दि. गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

<u>आदेश</u>

(2010 के तीसरे दिन पारित किया गया)

1. यह प्रकरण, नवंबर प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के लिए गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमि. प्रस्ताव को निपटाते हुए इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3 मार्च 2010 को पारित किए गए आदेश की समीक्षा के लिए गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) से प्राप्त दिनांक 25 मार्च 2010 के आवेदन से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने जीटीआईपीएल के सामान्य संशोधन प्रस्ताव को निपटाते हुए 3 मार्च 2010 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश राजपत्र सं. 71 के अंतर्गत 16 मार्च 2010 को भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और उसके 15 दिन बीतने के बाद 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ है।

3. मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 3.3.1 के अनुसार जीटीआईपीएल ने दिनांक 3 मार्च 2010 के आदेश की समीक्षा के लिए 25 मार्च 2010 को एक आवेदन दाखिल किया है।तत्पश्चात, जीटीआईपीएल ने दिनांक 25 मार्च 2010 के अपने समीक्षा आवेदन का अनुशेष आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2010 प्रस्तुत किया है। समीक्षा के लिए जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत बातें संक्षेप में नीचे दी गई हैः-

(क) जीटीआईपीएल ने आय अनुमान में क्रेडिट नोट्स की मद में वर्ष 2009 से 2011 तक प्रत्येक वर्ष के लिए रू. 3.06 करोड़ की राशि समायोजित की है। प्राधिकरण ने इस राशि की अनुमति नही दी है।

(ख) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ से उत्पन्न अन्य आय, रिटन-बैक देनदारियां और विविध आय कारोबार के साधारण चलन में नहीं है।

(ग) (वर्ष 2009 से 2011 तक प्रत्येक वर्ष के लिए आईटीआरएचओ से रू. 14.34 करोड़ की शुद्ध आय को), प्राधिकरण द्वारा कथित तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए समायोजित रू. 16.76 करोड़ की बजाए समायोजित करने की आवश्यकता है। आईटीआरएचओ गतिविधि से अधिशेष को भी, दर में कमी करने ठीक-ठीक आंकड़े की गणना करने के लिए साथ-साथ घटाने की आवश्यकता है।

(घ) 5.80 %की वार्षिक वृद्धि के साथ अनुमानित प्रबंधन उपरिव्यय) का परिवर्तन/संशोधन बहुत कम नगण्य है।

(ड़) प्राधिकरण ने इन्वेंटरी (क्रय सूची) की गणना के लिए मरम्मत और अनुरक्षण लागत में से आरटीजी अनुरक्षण लागत कम कर दी है। वर्ष 2006 से 2008 तक वास्तविक इन्वेन्टरी और वर्ष 2009 से 2011 तक के लिए अनुमान, जो वर्ष 2006 से 2008 तक के वास्तविकों के बहुत करीब हैं, पर विचार किया जाना चाहिए।

(च) विगत अधिशेष का पूर्ण समायोजन प्रशुल्क मार्गदर्शियों के विरूद्ध करता है। विगत अधिशेष का केवल 50% ही समायोजित किया जाना चाहिए।

(छ) हैच-कवर्स के प्रहस्तन के लिए प्रस्तावित वृद्धि, रीफर प्रबोधन प्रभार, अत्यधिक बड़े आकार के कंटेनर के पोतान्तरण और खतरनाक कंटेनरों के पोतान्तरण पर विचार नहीं किया गया है।

(ज) ओडीसी कंटनरों के लिए पडाव-समय प्रभार (ड्वैलटाईम प्रभार) में प्रस्तावित वृद्धि पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया है।

(झ) आईसीडी कंटेनरों के लिए पड़ाव -समय प्रभारों को लगाने के लिए प्रदत्त स्लैब स्ट्रक्चर, भरे हुए कंटेनरों के पोतान्तरण और खाली कंटेनरों के पोतान्तरण के लिए भी, उद्योग के चलन के अनुरूप, प्रदान किए जाने की जरूरत नहीं है।

4. मार्च 2005 केप्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 3,3.1 में व्यवस्था दी गई है कि किसी भी प्रशुल्क आदेश की समीक्षा के आवेदन पर प्रासंगिक कार्यवाही में विचार किए गए रिकार्ड में सामने से दिख रही त्रुटियों की मात्रा की सीमा तक विचार किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा आवेदन भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर दाखिल की जाए।

5. जिस समय जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत (समीक्षा) आवेदन की जांच-परख की जा रही थी सी हॉर्स शिप एजेन्सीज प्राइवेट लिमि. (एसएसएपीएल) ने दिनांक 26 अप्रैल 2010 के अपने ई-मेल के जरिए निम्नलिखित मुख्य प्रस्तुतियां की :

(i) इस प्राधिकरण द्वारा पारित एनएसआईसीटी आदेश सं. टीएएमपी/14/2008 - एन एस आईसीटी दिनांक 19 सितंबर 2008 को पारित आदेश के पैराग्राफ 13 (xxix) में दिए अर्थ और कारणों का उद्धरण देते हुए प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/49/2008 जीटीआईपीएल दिनांक 3 मार्च 2010 में एक दरवाजा खोलने (वनडोर ओपनिंग की मद में प्रति कंटेनर रू. 1000/- का प्रभार अनुमोदित किया है। परिणामस्वरूप, एनएसआईसीटी के आदेश के कथित पैराग्राफ के अंतिम वाक्य में Optional शब्द की जगह Optimal छप गया है। यह एक त्रुटि है। एसएसएपीएल ने एक स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया है जिसमें यह कहा जाए कि एक दरवाजा खोलने के प्रभार ऐच्छिक/वैकल्पिक हैं और केवल तब ही लागू होंगे जब ग्राहक उस सेवा के लिए अनुरोध करेगा।

(ii) अलावा, इन प्रभारों के साथ संबंध सेवाओं को विनिर्दिष्ट करना, जैसाकि एनएसआईसीटी, सीसीटीएल और वीसीटीपीएल केवल में उल्लेख किया गया है, महत्वपूर्ण हो सकता है कि केवल प्रशुल्क राशि ही, सम्बद्ध सेवा प्रदान करवाए बिना, अपनायी जाएगी।

6. इसके जीटीआईपीएल ने दिनांक 25 मार्च 2010 के अपने पत्र में अन्य बातों के साथ कहा है कि इसने जनवरी 2009 से नवंबर 2009 तक की अवधि के लिए मिश्रित ट्रेन प्रहस्तन प्रभारों में इसके भाग की मद में जेएनपीटी को रू. 2.42 करोड़ की राशि का भुगतान किया है। चूंकि जीटीआईपीएल ने, जेएनपीटी को किए गए इस भुगतान के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, हमारे पत्र दिनांक 28 जून 2010 द्वारा जेएनपीटी से अनुरोध किया गया था कि वह मिश्रित ट्रेन प्रहस्तन प्रभार हिस्सेदारी की मद में जीटीआईपीएल से प्राप्त भुगतानों के बारे में विवरण प्रस्तुत करें। जेएनपीटी ने दिनांक 2 जुलाई 2010 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के लिए मिश्रित ट्रेन प्रहस्तन प्रभारों की हिस्सेदारी की मद में जीटी आईपीएल से प्राप्त माहवार राशियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक की अवधि में जे एनपीटी द्वारा प्राप्त की गई माहवार राशि निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	**वर्ष 2009 में**	**राशि रू. में.**
1.	जनवरी	शून्य
2.	फरवरी	6,31,397
3.	मार्च	शून्य
4.	अप्रैल	12,38,669
5.	मई	16,16,998
6.	जून	54,12,641
7.	जुलाई	58,54,724
8.	अगस्त	43,96,558

9.	सितंबर	50,39,387
10.	अक्टूबर	44,95,828
11.	नवंबर	47,42,900
12.	दिसंबर	37,12,257
	कुल योग	3,71,41,359

7.1 संदर्भित प्रकरण पर एक सुनवाई 9 जुलाई 2010 को मुंबई स्थित प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी। जीटीआईपीएल ने अपने समीक्षा आवेदन की एक पावर प्वाइंट प्रस्तुत की, जीटीआईपीएल ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा।

7.2 जैसाकि सुनवाई में निर्णय लिया गया था, हमारे पत्र दिनांक 13 जुलाई 2010 के माध्यम से जीटीआईपीएल को सलाह दी गई कि वह कुछ अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। जीटीआईपीएल ने दिनांक 22 जुलाई 2010 और 2 अगस्त 2010 के माध्यम से अपने उत्तर प्रस्तुत किए। हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न और जीटीआईपीएल द्वारा दिए गए उनके उत्तर नीचे सारणीबद्ध दिए गए हैः-

क्रम सं.	हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न	जीटीआईपीएल का उत्तर
1.	इंटरटर्मिनल रेल हैंडलिंग आपरेशंस (आईटीआरएचओ) के संबंध में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) को किए गए भुगतान के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य.	जीटीआईपीएल द्वारा वर्ष 2009 में जेएनपीटी एवं एनएसआईसीटी को किए गए आईटीआरएचओ भुगतानों का संक्षिप्त रूप नीचे दिया गया हैः- वर्ष 2009 में किए गए आईटीआरएचओ का संक्षिप्त रूप राशि आईएनआर में

माह	जेएनपीटी	एनएसआईसीटी	कुल
जन 09	(5256107)	70993	(53271001)
फर 09	562000	-	562100
मार्च 09	5592514	181728	(57774242)
अप्रैल 09	1123200	-	1123200
मई 09	1466000	-	1466000
जून 09	4907200	-	4907200
जुल. 09	5308000	-	5308000
अगस्त 09	3986000	-	3986000
सितंबर 09	4568800	-	4568800
अकटूबर 09	4076000	-	4076000
नवंबर 09	4300 000	-	4300000
दिसंबर 09	3365600	-	3365600
कुल प्राप्तियां	**1,08,48,621**	**252721**	**1,11,01,342**
कुल भुगतान	**3,36,62,800**		**3662800**

जेएनपीटी को किए गए भुगतान के समर्थन में जीटी आईपीएल ने उन बीजकों की प्रतियां प्रस्तुत की जो इसके द्वारा जेएनपीटी को जारी की गई थीं। जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
सूचना के अनुसार इसने जेएनपीटी को आईटीआरएचओ की मद में रू. 33662800/- का भुगतान किया था।

<table>
<tr><td>समस्त आईसीडी मात्रा पर वसूली
410276 टीईयू x रू. 400/- =</td><td>रू. 164110400/-</td></tr>
<tr><td>जोडिए : निम्नलिखित से प्राप्त भुगतान
i) जेएनपीटी
ii) एनएसआईसीटी</td><td>
1,08,48,621
2,52,721
17,52,11,742</td></tr>
<tr><td>घटाइएः जेएनपीटी को दी गई राशि
आईटीआरएचओ से शुद्ध आय</td><td>3,36,62,800
रू.141548942</td></tr>
</table>
(i) जीटीआईपीएल ने एन एसआईटी को पेश किए गए रू. 252721/- के बीजकों की प्रतियां प्रस्तुत की। ऐसी स्थितिमें जीटीआईपीएल द्वारा वर्णित रू. 1.08 करोड़ की राशि आईटीआरएचओ भुगतानों के संक्षिप्त रूप में एनएसआईसीटी से प्राप्ति के रूप में, वास्तव में जेएनपीटी से प्राप्त भुगतान जान पड़ता है, जैसकि सारणी में लिखा हुआ है।
(ii) चूंकि जीटीआईपीएल द्वारा प्रदत्त सार-संक्षेप एनएसआईसीटी से प्राप्त रू. 252721/- को लेखा में लेता है, जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत आईटीआरएचओ से शुद्ध आय रू.14.12 करोड़ को एनएसआईसीटी से आईटीआरएचओ प्राप्ति को मान्य करते हुए रू.14,15,48,942/- में अध्यतन किया गया है।
(iii) जैसाकि जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत आर-संक्षेप से पता चलता है, उसने वर्ष 2009 के दौरान आईटीआरएचओ भुगतान के रूप में. रू. 33662800/- का आंकड़ा दर्शाया है। जैसाकि पहले बताया गया है, जेएनपीटी ने उसी अवधि के लिए रू. 37141359/- का आंकड़ा बताया है। जेएनपीटी द्वारा तैयार किए और जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत बीजकों की प्रतियों से पता चलता है कि जेएनपीटी द्वारा प्रस्तुतराशि में प्रचलित कर भी सम्मिलित हैं। इसलिए रू. 33662800/- की राशि ही विश्लेषण के लिए ठीक है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>विचाराधीन वर्षों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग लागत विवरणी, आईटीआरएचओ गतिविधि से होने वाली आय एवं उस पर होने वाले व्यय का विवरण देते हुए।</td>
<td>
आईटीआरएचओ गतिविधि से होने वाली आय निम्नानुसार परिगणित होती है:-
<table>
<tr><th>ब्यौरा</th><th>राशि करोड़ रूपये में</th></tr>
<tr><td>समस्त आईसीडी मात्रा
पर वसूली (410276 टीईयू
x आईएनआर400)</td><td>16.40</td></tr>
<tr><td>जोड़िए : जेएनपीटी से प्राप्त भुगतान</td><td>1.08</td></tr>
<tr><td>घटाइएः जेएनपीटी की दी राशि</td><td>3.36</td></tr>
<tr><td>आईटीएचओ से शुद्ध आय</td><td>14.12</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>आईटीआरएचओ से संबंधित ठीक-ठीक लागत ब्यौरे परिगणित करना संभव नहीं है। इसलिए, आईटीआरएचओ गतिविधि से उत्पन्न अधिशेष परिगणित करते समय, 67% की दर से रायल्टी बाहर रखते हुए, 2009 के वार्षिक लेखा के आधार पर ईबीआईटीडीए मार्जिन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, वर्ष 2010 (अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010) और वर्ष 2011 के लिए अधिशेष क्रमशः आईएनआर 6.99 और आईएनआर 9.321 करोड़ परिगणित होता है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>दरमान में प्रस्तावित प्रत्येक संशोधन से जुड़ा हुआ वार्षिक राजस्व.</td><td>दरमान में प्रस्तावित प्रत्येक संशोधन से जुड़ा हुआ वार्षिक राजस्व नीचे तालिका में दिए अनुसार है :

<table><tr><th>दरमान में संशोधन</th><th>आईएनआरमें राशि</th></tr><tr><td>हैच कवर स्थळान्तरण</td><td>8227820</td></tr><tr><td>रीफर प्रबोधन</td><td>84905185</td></tr><tr><td>भंडारण</td><td>337691</td></tr><tr><td>खतरनाक</td><td>(15278962)</td></tr><tr><td>कुल योग</td><td>78191734</td></tr></table>
टीपी खतरनाक और टीपी ओडीसी कंटेनरों में परिवर्तन के लिए वार्षिक राजस्व संलिप्तता. डाटा उपलब्ध न होने के कारण परिगणित नहीं की जा सकती है। तथापि, इस श्रेणी में प्रहस्तित यातायात बहुत कम रहने का कारण राजस्व नमगण्य रहेगा।

इन्वेन्टरी में आरएमक्यू सी, आरएमजी और स्प्रैडर्स के पूंजीगत कलपुर्जे शामिल है। ये वो पूंजीगत कल पुर्जे हैं जो आवश्यकतानुसार तैयार किए गए और निर्माताओं से यथा-क्यूसी, आरएमजी और स्प्रैडर के लिए क्रमशः जेड़ पीएम सी और एन एसएल से प्राप्त किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>आरटीजी के पूंजीगत कलपुर्जो के प्रति लेखा व्यवहार पर विस्तृत नोट के साथ दस्तावेजी साक्ष्य</td><td>क्यूसीज और आरएमजीसीज से संबंधित आईएनआर 3.29 करोड़ की एक इन्वेंटरी और सीधे निर्माता से खरीदे गए स्प्रैडर्स से संबंधित आईएन आर 1.45 करोड़ की एक और इन्वेंटरी, दोनों मिलकर दिसंबर 2009 की कुल 9.88 करोड़ की इन्वेंटरी बनाती है कुल इन्वेंटरी मूल्य का लगभग 50%की (जीटीआईपीएल ने क्रमशः रू. 3.29 करोड़ और रू. 1.45 करोड़ की दिखाते हुए, आरएम क्यूसी, आरएमजीसी और स्प्रैडरों की पूंजीगत कलपुर्जो की अलग सूची प्रस्तुत की है) ये कल पुर्जे नाजुक/ संकट कालीन हैं जिनका पहले से स्टाक में रहना जरूरी है क्योंकि ये कलपुर्जे भारत में उपलब्ध नहीं है और इनको निर्माण करवा कर प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है।
उसके बाद जीटीआईपीएल ने दिनांक 2 अगस्त 2010 के अपने पत्र सं. जीटीआईपीएल/ टीएम10/ टैरिफ प्रपोजल/ 14 के द्वारा, निर्माताओं जेड-पीएमसी एवं एनएसएल से वे प्रमाण पत्र प्रस्तुत</td></tr>
</table>

		किए है जो इन वस्तुओं को क्यूसी, आरएमजीसी एवं स्प्रैडर्स के लिए पूंजीगत कलपुर्जे प्रमाणित करते हैं। पूंजीगत कल पुर्जो के साथ-साथ नाजुक/संकटकालीन कलपुर्जे भी हैं जो निर्माताओं के अलावा अन्यों से प्राप्त किए जाते हैं। रू. 7.92 करोड़ मूल्य के संकटकालीन (क्रिटिकल) कलपुर्जे कुंल इन्वेंटरी मूल्य का 80% होते हैं। (जीटीआईपीएल ने क्रिटिकल कलपुर्जो की मदवार सूची प्रस्तुत की है जो रू. 7.92 करोड़ का कुल मूल्य दर्शाती हैं। ये वस्तुएं अचल है जैसाकि 31 दिसंबर 2009 की इन्वेंटरी एजिंग रिपोर्ट से देखा जा सकता है। धीमी-अचल वस्तुओं के लिए प्रवधान रखते समय इन क्रिटिकल अवयवों/कलपुर्जो को बाहर रखा जाता हैं।

7.3 ऊपर वर्णित प्रतिसाद के साथ-साथ, दिनांक 22 जुलाई 2010 के अपने पत्र में जीटीआईपीएल ने ये अतिरिक्त सूचना भी दीः-

(i) आईटीआरएचओ अधिशेष अतिरिक्त और इन्वेंटरी समायोजन को छोड़कर, पिछले पत्रों में वर्णित शुद्धियां लगाने के बाद दर-गिरावट 8.20% परिगणित होती है। दरमान में प्रस्तावित संशोधन में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त राजस्व को जोड़कर दर-गिरावट नीचे दी गई तालिका के अनुसार 7.86% परिगणित होती है।

	आईएनआर मिलियन में	**%**
प्राधिकरण के आदेशानुसार प्रशुल्क - गिरावट घटाइए : जीटीआई अनुरोध का प्रभाव		**10.06**
प्राधिकरण द्वारा अनुमत नहीं किए गए क्रेडिट नोट्स	10.8	-0.80%
प्रस्ताव के अनुसार प्रबंधन उपरिव्यय	77	-0.72%
गैर-प्रचालनीय आय (2006-08)	78	-0.30%
आईटीआरएच ओ राजस्व गिरावट	42	-0.04%
(जेएनपीटी को भुगतान)		
जीटीआई के सुझावों के बाद प्रशुल्क-गिरावट		8.20%
जोड़िए :		
दरमान में परिवर्तन के कारण प्रभाव	78	1.72%
हैच कवर स्थलान्तरण	8.3	0.18%
रीफर प्रबोधन	84.9	1.87%
भंडारण	0.3	0.01%
खतरनाक	-15.3	-0.34%
घटाइए :		
आईटीआरएचओ - अधिशेष में समायोजन	163	-1.76%
इन्वेंटरी - बेसिस वास्तविक		-0.30%
दर-गिरावट-सुझावों के बाद		7.86%

(ii) जीटीआईपीएल ने दिनांक 25 मार्च 2010 के अपने पिछले पत्र में उल्लेख किया है कि वेतन में वार्षिक वृद्धि, वर्ष 2009 में, 14.51% परिगणित होती है। वर्ष 2010 के लिए वृद्धि का %, 16.43% परफाइनल कर लिया गया है। (जीटीआईपीएल ने वर्ष 2010 में वृद्धि का %, 16.43 दर्शाते हुए एक

विवरणी प्रस्तुत की है) एक बार पुनः अनुरोध किया है प्रत्येक विचाराधीन वर्ष में प्रबंधन उपरिव्यय में 15% की वृद्धि स्वीकार की जाए। अपने त्यातरीन प्रस्ताव में 3% वार्षिक वृद्धि के कारण और डी. ए.मे. 7% की वृद्धि के कारण 10 % की वृद्धिदर लागू करते हुए यही बिन्दु जेएनपीटी द्वारा उठाया गया है।

8.1 जीटीआईपीएल द्वारा दाखिल किए गए समीक्षा आवेदन में दिनांक 3 मार्च 2010 के आदेश में, अन्य मदों में, खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रदत्त दरों की समीक्षा किया जाना भी शामिल थी, मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश से संबंधित कार्यवाही के दौरान जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए आय अनुमानन ने दर्शाया कि जीटीओपीएल खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन दरमान में प्रदत्त 20 के प्रति, कंटेनर के लिए रू. 35402, 40 के प्रति कंटेनरर के लिए रू. 53402 और 40 से बड़े आकार के कंटेनर के लिए रू. 7080/2 की तुलना में क्रमशः 4130/-, रू. 6195/- और रू. 8260/- प्रति कंटेनर पर विचार किया था। इस संबंध में, हमारे पत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2010 द्वारा जीटीओपीएल से इस बात की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था कि इसने खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए मार्च 2010 के आदेश से पहले प्रचलित दरमान में प्रदत्त दरें ही लगायी हैं, न कि इसके द्वारा वर्ष 2009 और 2010 में आय-अनुमान में इसके द्वारा प्रयुक्त दरें।

8.2 दिनांक 29 अक्टूबर 2010 के अपने पत्र के माध्यम से जीटीओपीएल ने इस बात की पुष्टि की है कि मार्च 2010 से पहले की अवधि में खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए वही दरें लगायी गई है जो इस प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित दरमान में प्रदत्त है।

9. इस प्रकरण में सुनवाई से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है। ये ब्यौरे हमारे वैबसाईट http://tariffauthority.gov.in. पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

10. जीटीआईपीएल द्वारा अपनी समीक्षा याचिका में प्रस्तुत बिन्दुओं का साररूप, दिनांक 3 मार्च 2010 के आदेश के संबंधित पैराग्राफों का सारांश और उन पर हमारा विश्लेषण नीचे दिया गया हैः-

(क) **<u>जीटीआईपीएल ने आय-अनुमानन में वर्ष 2009 से 2010 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए क्रेडिट नोट्स की मद में रू. 3.06 करोड की राशि का समायोजन किया है। प्राधिकरण ने इस राशि को अनुमत नहीं किया है।</u>**

(i) **मार्च 2010 का प्रशुल्क आदेश (पैराग्राफ सं. II (vii) (ए) एवं (सी))**

(ए) जीटीआईपीएल ने वर्ष 2009 से 2010 तक के लिए वर्तमान दरों और प्रोजैक्टेड ट्रैफिक के संदर्भ से, कंटेनर प्रहस्तन गतिविधि से प्रहस्तन आय की विस्तृत परिगणना प्रस्तुत की है। विदेशी कंटेनरों, पोतान्तरण, खतरनाक और अत्यधिक विशाल काय कंटेनरों के प्रहस्तन से आय के अनुमानन के अलावा जीटीआईपीएल ने वर्ष 2009 लॉक बिन्स, हैच कवर, शट-आउट्स, लिफ्ट ऑन/लिफ्टऑफ गतिविधि, पोतान्तरण कंटेनरो के अतिरिक्त स्थानान्तरण, रीफर विद्युत प्रभार इत्यादि से आय -अनुमान प्रस्तुत किया है और वर्ष 2010 एवं 2011 के लिए एकरूपता पर विचार किया है। लागत विवरणी में दिखाए गए आय-अनुमान, वर्ष 2009 से 2011 तक के लिए दिखाए गए अनुमानों की तुलना में प्रत्येक वर्ष रू. 4.65 लाख अधिक पाए गए है। इस अंतर का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। हमने गणनाओं में दर्शाए गए अनुमानों पर विश्वास किया है।

जीटीआईपीएल ने रेल द्वारा लाए- ले जाए गए आईसीडी कंटेनरों के इंटर टर्मिनल रेल हैंडलिंग आपरेशनों (आई टी आर एच ओ) से उत्पन्न होने वाले आय अनुमानों पर विचार किया है। आईटीआरएचओ आय, वर्ष 2009 से 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए रू. 1641.11 लाख परिगणित होती है। इसके अलावा, जीटीआईपीएल ने जेएनपीटी एवं एनएसआईसीटी से आईसीडी कंटेनरों के मिश्रित-ट्रेन-प्रहस्तन के भाग के रूप में अनुमानित प्राप्तियों पर, वर्ष 2009 से 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक के लिए रू. 35.73 लाख पर विचार किया है। वर्ष 2009 से 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक के लिए अनुमानित आईटीआरएचओ आय का कुल योग रू. 1676.84 लाख प्रति वर्ष आता है। वर्ष 2006 से

2011 तक के लिए तटीय कंटेनरों की कोई मात्रा सूचित नहीं की गई है। इसलिए, जीटीआईपीएल ने आय-अनुमान में तटीय आय पर विचार नहीं किया है।

(सी) वर्ष 2009 से 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक के लिए जीटीआईपीएल द्वारा अनुमानित प्रचालन आय 2009 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक के लिए रू. 1523.25 लाख प्रति वर्ष, छूट के रूप में समायोजित करने के बाद है। इसीप्रकार, जीटीआईपीएल ने 2009-2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक के लिए रू. 360.22 लाख मूल्य के कुछ क्रेडिट नोट्स/डेबिट के रूप में, आय गणना में समायोजित किए है। छूट की अनुमति देना जीटीआईपीएल का प्रबंधन-निर्णय हैं और प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया इसे मान्य नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार से यह प्राधिकरण का जीटीआईपीएल द्वारा प्रत्येक मामले को अलग-अलग आधार पर दिए गए यादृच्छिक व्यवहार से कोई सरोकार नहीं है। आय गणना में क्रेडिट नोट्स का समायोजन उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। हमने जीटीआईपीएल के वर्तमान दरमान के अनुसार जीटीआईपीएल द्वारा अनुमानित आय पर विश्वास किया है।

(ii) <u>जीटीआईपीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए बिन्दु</u>

(क) ताजातरीन प्रस्ताव में जीटीआईपीएल द्वारा दाखिल की गई लागत विवरणी में वर्ष 2009 से 2011 तक के लिए राजस्व, छूट प्रदान करने के बाद रू. 3444/- प्रति टीईयू की राजस्व दर पर 15,1 l304 टीईयू प्रति वर्ष पर प्रोजैक्ट किया गया था। रिबेट/छूट को अलग करने से पहले प्रति टीईयू राजस्व रू. 3544/- परिगणित होता है, जो नवंबर 2009 तक प्रति टीईयू राजस्व था। आय के विवरण में, तीन वर्षों के लिए जारी किए गए क्रेडिट नोट्स के लिए प्रतिवर्ष रू. 3.06 करोड़ का ऋणात्मक आंकडा समायोजित किया गया है। वह विशेष राशि इस आधार पर प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत की गई है कि क्रेडिट नोट्स का समायोजन आय परिगणना में उपयुक्त नहीं जान पड़ता है।

(ख) जनवरी से नवंबर 2009 तक जारी किए गए क्रेडिट नोटों की राशि रू. 3.30 करोड़ है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(1) मिश्रित टेन प्रद्दस्तन भाग के लिए जेएनपीटी को भुगतान किए गेए रू. 2.42 करोड़

(2) पोतान्तरण मात्रा संबंधी छूट तथा तटीय छूट

(3) अशुद्ध बिलिंग : जीटीआईपीएल तटीय कंटेनरों के लिए, प्रारंभ में पूरी दर पर बिल तैयार करता है और प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात 40% छूट के लिए खाते में जमा करने हेतु पारित कर देता है। यह दरमान के अनुसार है। इसी प्रकार से, पोतान्तरण मात्रा छूट के लिए क्रेडिट, मात्राएं समेकित करने के बाद आगे बढ़ाया/पारित किया जाएगा। राजस्व प्रोजैक्शन में तटीय कंटेनर एवं पोतान्तरण कंटेनरर्स शामिल नहीं है, इसलिए इन छूटों के लिए समायोजन क्रेडिट नोट आंकड़ों में किया गया है। जीटीआईपीएल बिलिंग में बिल तैयार करने और क्रेडिट नोट्स जारी करने के दो अलग-अलग मॉड्युल है। खतरनाक से सामान्य श्रेणी में परिवर्तन, शट-आउट प्रभार गलत लगाया जाना, मिलान किए बिना आईसीडी इत्यादि विविध आय के गलत बिलिंग के लिए क्रेडिट नोट्स जारी किए जाते हैं। क्रेडिट नोटों से संबंधित समायोजन, बिलिंग-माड्यूल से प्राप्त डाटा में से अलग-अलग नहीं किए गए हैं ताकि यथा स्थान समाधान हो सके और जटिलताओं से बचा जा सके। हमारी गणना में इनको एक अलग पंक्तिमद के रूप में दिखाया गया है। ये मात्रा संबंधी छूटों एवं अधित्यागों की मद में नहीं है।

इस प्रकार, ऊपर वर्णित प्रयोजन के लिए, जनवरी-नवंबर 2009 के लिए रू. 3.30 करोड़ की तुलना में 2009 से 2011 तक पूर्ण वर्षीय प्रोजैक्शन के लिए रू. 3.06 करोड़ प्रतिवर्ष की राशि अनुमानित की गई थी।

(ग) जेएनपीटी को राजस्व-भाग का भुगतान ठीक-ठीक हो इसे सुनिश्चित करने के लिए लाइसैंस एग्रीमैंट की अपेक्षा के अनुसार जीटीआईपीएल के मासिक राजस्व का सांविधिक ऑडिटरों द्वारा ऑडिट किया जाता है। जनवरी 2009 से नवंबर 2009 तक अवधि के लिए छूट अलग करने से पहले विधिवत ऑडिट किया गया राजस्व, रू. 3544/- प्रति टीईयू के राजस्व का समर्थन करता है। यदि प्राधिकरण को आवश्यकता होतो जीटीआईपीएल जनवरी 2009 से नवंबर 2009 तक की अवधि के राजस्व प्रमाणपत्र और आय-प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देगा।

(iii) <u>विश्लेषण :</u>

(क) रू. 3444/- प्रति टीईयू की औसत वसूली के आधार पर मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश से संबंधित कार्यवाही -विवरण में जीटीआईपीएल द्वारा लागत विवरणी में राजस्व का अनुमान लगाया गया था। जीटीआईपीएल ने अनुमानित राजस्व के लिए विस्तृत परिगणना भी प्रस्तुत की है। परिगणना का राजस्व और लागत-विवरणी में वर्णित राजस्व परस्पर भिन्न थे। अन्तर के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। चूंकि जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत परिगणना ने प्रोजैक्ट की गई मात्रा और कन्टेनरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उस-समय प्रचलित प्रशुल्क को लेखा में इस्तेमाल किया गया था, इन परिगणनाओं से तैयार किया/निकाला गया राजस्व आवश्यकता जांच पड़ताल के बाद, प्रकरण के विश्लेषण के लिए लेखा में शामिल किया गया।

(ख) मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचारित प्रचालन आय के अनुमान में क्रेडिट नोटों से संबंधित रू. 360.22 लाख की राशि वर्ष 2009 से 2011 तक प्रत्येक वर्ष के लिए इस आधार पर वापिस जोड़ी गई कि छूट प्रदान करना जीटीआईपीएल का प्रबंधन निर्णय है और प्रशुल्क-निर्धारण का कार्य इसे स्वीकार/मान्य नहीं कर सकता। यह नोट करना यहां प्रासंगिक है कि जीटीआईपीएल द्वारा जारी किए गए क्रेडिट नोटों की प्रकृति, जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत आय-गणनाओं में स्पष्ट नहीं की गई थी।

यह स्थिति कि क्रेडिट नोट्स से संबंधित राशि में जेएनपीटी द्वारा प्रद्दस्तित मिश्रित ट्रेनों के लिए प्रचालक के शेयर की मद में, जेएनपीटी के भुगतान की गई राशि शामिल है। तटीय एवं पोतान्तरण छूट और अशुद्ध बिलिंग का केवल प्रचालक द्वारा दाखिल समीक्षा आवेदन में ही उल्लेख किया जाता है।

(ग) इस संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में जीटीआईपीएल ने दस्तावेजी सबूतों के साथ बताया है कि वर्ष 2009 में मिश्रित ट्रेन प्रहस्तन की मद में जेएनपीटी को रू. 336.63 लाख का भुगतान किया गया था। स्पष्ट रूप से जेएनपीटी ने जीटीआईपीएल से रू. 336.63 लाख प्राप्ति की पुष्टि की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए रू. 336.63 लाख की राशि वर्ष 2009 के आय अनुमान से बाहर रखी गई है। चूंकि वर्ष 2010 और 2011 के लिए अनुमानित आय का वही स्तर बरकरार रखा गया था, वर्ष 2009 के लिए था। आईटीआरएचओ से संबंधित रू. 336.63 लाख की राशि, वर्ष 2010 और 2011 के आय अनुमानों से रखी गई।

(घ) प्रचालन आय से पोतान्तरण मात्रा छूट और तटीय छूट बाहर रखने की जीटीआईपीएल की मांग के संदर्भ में यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मार्च 2010 में अनुमोदित दरमान में पोतान्तरण छूट और तटीय छूट प्रदान करने का प्रावधान है। इसलिए, आय अनुमान में पोतान्तरण मात्रा और तटीय कंटेनरों की मद में छूट को अलग-अलग दर्शाने की आवश्यकता है। जीटीआईपीएल ने न तो मार्च 2010 से संबंधित प्रशुल्क प्रक्रियाओं में और न ही समीक्षा आवेदन में पोतान्तरण छूट एवं तटीय छूट की मद में राशि की मात्रा दर्शाई हैं। इसके अलावा, तटीय छूट को लागू करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जीटीआईपीएल ने मार्च 2010 के आदेश से संबंधित प्रशुल्क कार्यवाहियों में वर्ष 2009 से 2011 के लिए कोई तटीय यातायात अनुमानित नहीं किया है। अशुद्ध बिलिंग के संबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जीटीआईपीएल ने न तो मार्च 2010 के आदेश से संबंधित प्रशुल्क कार्यवाही वृतान्त में और न ही समीक्षा आवेदन में अशुद्ध बिलिंग की मद में राशियों की मात्रा

बताई है। चूंकि जीटीआईपीएल ने आदेश के समक्ष किसी दिखाई देने वाली त्रुटि की पुष्टि नहीं की है, इस संबंध में किसी समीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

(ख) <u>परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ से व्युत्पन्न अन्य आय, लौटायी गई देयताएं और विविध आय कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं और इन्हें आय-अनुमानों में से बाहर रखने की आवश्यकता है।</u>

(i) <u>मार्च 2010 का प्रशुल्क आदेश : [पैराग्राफ सं. 11 (ii) (सी) (i) एवं (ii)]</u>

(सी) (i) जीटीआईपीएल के ऑडिट किए गए वार्षिक लेखा में वर्णित, वर्ष 2006 से 2008 तक की वास्तविक प्रचालन आय पर विचार किया गया है।

(ii) जीटीआईपीएल के आय स्त्रोतों में सावधि जमा राशियों पर ब्याज, सुरक्षित ऋणों पर ब्याज, वापिस-लिखी गई देयताएं, मुद्रा विनिमय-लाभ, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ, विविध आय, आपूर्तिकार्त्ताओं से वसूली, कतरनों की बिक्री जैसी अन्य आय भी शामिल हैं। जीटीआईपीएल ने इस आधार पर अपनी लागत विवरणी में अन्य आय पर विचार नहीं किया है कि अन्य आय प्रचालन आय का भाग नहीं बनती है। आय की मदें, यथा, आपूर्तिकर्त्ताओं से वसूलियां, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ, वापिस-लिखी गई देन दारियां, विविध आय और कतरनों की बिक्री जीटीआईपीएल में सुविधाओं के प्रचालन से उपजी जान पड़ती है। इसलिए, अन्य आय को इन मदों पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है। चूंकि महापत्तनों/निजी टर्मिनलों के प्रशुल्क निर्धारण में लागत की मद के रूम में आयोजित पूंजी पर प्रतिलाभ को अनुमत किया गया है। इस रूप में ऋणों पर ब्याज को अलग से अनुमति नहीं प्रदान की गई है। इसलिए इस विश्लेषण में ब्याज-लागत को अलग से मान्य नहीं किया गया है। सावधि जमा राशियों पर ब्याज-आय और विदेशी मुद्रा में ऋणों को सेवा प्रदान करने से उपजे विनिमय-लाभों को भी अन्य आय का भाग नहीं माना गया है।

(ii) <u>जीटीआईपीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए बिन्दु.</u>

(क) इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित लागत विवरणी में वर्ष 2006, 2007 और 2008 के लिए क्रमशः रू. 12.86 लाख रू. 3.99 करोड़ और रू. 3.65 करोड़ की अन्य आय जोड़ी गई है। इसमें परिसंपत्तियों की रू. 3.65 करोड़ की अन्य आय जोडी गई है। इसमें परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ, वापिस लिखी गई देयताएं और आपूर्तिकर्ता पर जुर्माना, कतरनों की बिक्री इत्यादि विविध आय सम्मिलित है। इन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला राजस्व कारोबार की सामान्य प्रक्रिया नहीं है, और इस प्रकार एक प्रचालन आय नहीं है और उसे लागत-विवरणी में से निकाले जाने की आवश्यकता है।

(ख) वर्ष 2007 के लिए शामिल की गई अन्य आय की राशि में एक त्रुटि है, जिसके माध्यम से रू. 3.52 करोड़ की राशि स्पलायरों से वसूली शीर्ष के तहत ली गई है, जबकि इस शीर्ष के तहत वास्तविकराशि केवल रू. 1.25 करोड़ ही है। इस प्रकार, वर्ष 2007 के लिए शामिल की गई आय को भी रू. 3.99 करोड़ की तुलना में रू. 1.73 करोड़ के शुद्धिकरण की आवश्यकता हैं।

(iii) <u>विश्लेषण:</u>

(क) अन्य आय, यथा, आपूर्तिकर्त्ताओं से वसूली, परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ, वापिस-लिखी गई देनदारियां, विविध आय और कतरनों की बिक्री जीटीआईपीएल के मामले में वित्त एवं विविध आय के अन्तर्गत उस सामान्य व्यवहार के अनुरूप स्वीकार की गई थी जिसका सभी महापत्तनों और वहां प्रचालित निजी टर्मिनलों के लिए प्रशुल्क निर्धारित करते समय अनुपालन किया जाता है। ऊपर वर्णित मदों से उत्पन्न राजस्व कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं है जीटीआईपीएल परिस्थिती प्रस्तुत नहीं की गई है, जो इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा समानरूप से अनुसरित सामान्य दृष्टिकोण से भिन्न जाने की आवश्यकता जगाए, इस प्रकार, प्रचालन आय से ऊपर वर्णित मदों के

नाम पर उत्पन्न राजस्व को बाहर रखने का जीटीआईपीएल के दावे पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।

(ख) जीटीआईपीएल ने वर्ष 2007 के लिए वित्त एवं विविध आय के अन्तर्गत हमारे द्वारा विचार की गई कुल राशि में एक त्रुटि की ओर इशारा किया है।

मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में वर्ष 2007 के लिए वित्त एवं विविध आय के अंतर्गत रू. 399.92 लाख पर विचार किया गया था, रू. 399.92 लाख की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः-

		रू. लाखो में
(i)	आपूर्तिकर्त्ता से वसूली	352.58
(ii)	वापिस-लिखी गई देनदारियां	4.75
(iii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.83
(iv)	विविध आय	40.76
	कुल योग	**399.92**

वर्ष 2007 के लिए जीटीआईपीएल का ऑडिटेड वार्षिक अकाउंट, आपूर्ति कर्त्ताओं से वसूली के रूप में रू. 125.59 लाख की राशि दर्शाता है और हमारे द्वारा विचार की गई रू. 352.58 लाख की राशि वास्तव में विदेशी मुद्रा ऋणों की सेवा से उत्पन्न विनिमय लाभ से संबंधित है। विनिमय लाभ को अन्य आय के भाग के रूप में नहीं लिया गया है, जैसाकि मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश के संबंधित पैराग्राफ में दर्ज है। इस प्रकार, गलती को ठीक किए जाने की आवश्यकता है। मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में हमारे द्वारा विचार की गई रू. 352.58 लाख की राशि और जीटीआईपीएल के ऑडिट किए गए वार्षिक लेखा में दिखाई गई रू. 125.59 लाख की वास्तविक राशि (रू. 352.58 लाख रू. 125.59 लाख) के बीच अंतर रू. 227.99 लाख परिगणित होता है, जिन्हें वर्ष 2007 के लिए विचार की गई वित्त एवं विविध आय में से बाहर किए जाने की आवश्यकता है।

किन्तु यह भी देखा गया है कि वर्ष 2006 के लिए वार्षिक लेखा रू. 301812 का विनिमय घाटा भी दर्शाता है। चूंकि विनिमय - लाभ लागत-विवरणी से बाहर रखा गया है, विनिमय -हानि को भी मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश का माग बने लागत - विवरण में से अलग किया जाना चाहिए, तद्नुसार, वर्ष 2006 के लिए प्रचालन व्ययों का भाग बने अन्य व्ययों से रू. 301812 की राशि कम की गई है। वर्ष 2008 के लिए वार्षिक लेखा में कोई विनिमय घाटा नहीं दर्शाया गया है।

(ग) वर्ष 2009 से 2011 तक प्रत्येक वर्ष के लिए प्राधिकरण द्वारा समायोजित रू. 1676 करोड़ के स्थान पर इन तीन वर्षो से प्रत्येक वर्ष आईटीआरएचओ से रू. 14.4 करोड़ की शुद्ध आय, आय में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है। आईटीआरएचओ गतिविधि से अधिशेष को भी साथ-साथ घटाए जाने की आवश्यकता है ताकि दर - गिरावट के सही-सही आंकड़े की परिगणना की जा सके।

(i) मार्च 2010 का प्रशुल्क आदेश (पैराग्राफ सं. 11 (vii) उप-पैराग्राफ (क) का दूसरा पैराग्राफ एवं पैराग्राफ सं. 11 (xii)

(vii) जीटीआईपीएल ने रेल मार्ग द्वारा लाए-ले जाए गए आईसीडी कंटेनरों के इंटर टर्मिनल रेल हैंडलिंग प्रचालनों (आईटीआरएचओ) से उत्पन्न आय अनुमानों पर विचार किया है। आईटीआरएचओ आय वर्ष 2009 से 2011 में से प्रत्येक वर्ष के लिए रू. 1641.11 लाख परिगणित होती है। इनके अतिरिक्त जीटीआईपीएल ने एनएसआईसीटी से 2009 से 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष रू. 35.73 लाख की अनुमानित प्राप्तियों पर विचार किया था। वर्ष 2009 से 2011 तक के वर्षों के लिए कुल अनुमानित आईटीआरएचओ आय रू.

1676.84 लाख प्रतिवर्ष परिगणित होती है।

(xii) लागत विवरणी द्वारा प्रगट किए गए परिणाम यहां नीचे सारणी में संक्षेप में दिए गए हैं :-

ब्यौरे	**2010 अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010तक**	**2011जनवरी 2011 से दिसंबर 2011**
प्रचालन आय	40501.43	54001.91
शुद्ध अधिशेष (+)/घाटा (-) प्रचालन आय की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध अधिशेष	34846.79	5760.92
(+)/घाटा (-) अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2011 तक की अवधि के लिए	8.51 %	10.67%
औसत अधिशेष	9.74%	

लागत स्थिति 1 अप्रैल 2010 से 31 डिसंबर 2011 तक अवधि के लिए औसतन 9.74%का अधिशेष दर्शाती है।

जीटीआईपीएल द्वारा ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई जो इस संबंध में इस प्राधिकरण द्वारा समान रूप से अनुपालित सामान्य दृष्टिकोण से भिन्न जाने की आवश्यकता जगाए। इस प्रकार, ऊपर वर्णित मदों के नाम से उत्पन्न राजस्व को प्रचालन आय से बाहर रखने हेतु जीटीआईपीएल का दावा विचारणीय नहीं है।

(ख) जीटीआईपीएल ने, वर्ष 2007 के लिए वित्त एवं विविध आय के अंतर्गत हमारे द्वारा विचार की गई कुल राशि में एक त्रुटि की ओर संकेत किया है।

मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में, वित्त एवं विविध आय के अंतर्गत वर्ष 2007 के लिए हमारे द्वारा रू. 399.92 लाख की राशि पर विचार किया गया था। रू. 399.92 लाख की कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

		(रू. लाख रूपये में)
(i)	सप्लायर से वसूली	352.58
(ii)	वापिस लिखी गई देनदारियां /देयताएं	4.75
(iii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.83
(iv)	विविध आय	40.76
	कुल योग	**399.92**

वर्ष 2007 के लिए जीटीआईपीएल के ऑडिट किए गए वार्षिक लेखा, सप्लायरों से वसूली की मद में रू. 124.59 लाख की राशि दर्शाता है और हमारे द्वारा विचारित रू. 352.58 लाख की राशि वास्तव में, विदेशी मुद्रा ऋणों को सेवा प्रदान करने से उद्‌भूत विनिमय लाभ से संबंधित है। विनिमय लाभ को अन्य आय के भाग के रूप में नहीं माना गया है, जैसाकि मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश संबंधित पैराग्राफ में रिकार्ड किया गया है। इस प्रकार गलती को ठीक किए जाने की आवश्यकता है। मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में हमारे द्वारा विचार की गई रू. 352.58 लाख की राशि और जीटीआईपीएल के ऑडिट किए गए वार्षिक लेखा में दर्शायी गई रू. 124.59 लाख की वास्तविक राशि के बीच रू. 227.99 लाख का अंतर परिगणित होता है। (रू. 352.58 लाख की रू. 124.59 लाख) जिसे वर्ष 2007 के लिए विचारित वित्त एवं विविध आय में से बाहर रखे जाने की आवश्यकता है।

किन्तु यह भी देखा गया है कि वर्ष 2006 का वार्षिक लेखा रू. 30181/- का विनिमय घाटा दिखा रहा है

चूंकि विनिमय लाभ, लागत विवरणी में से बाहर रखा गया है, विनिमय घाटे को भी मार्च 2010 के आदेश का भाग बनी लागत विवरणी में से बाहर रखा जाना चाहिए था। तदानुसार, रू. 30181/- की राशि, वर्ष 2006 के लिए प्रचालन व्ययों का भाग बने अन्य व्ययो में कम किया गया है। वर्ष 2008 का वार्षिक लेखा में कोई विनिमय घाटा नहीं दिखाया गया है।

(ग) **वर्ष 2009 से 2011 तक के वर्षो में से प्रत्येक वर्ष के लिए, आईटीआरएचओ से शुद्ध आय रू. 14.34 करोड़ को कथित तीन वर्षो में से प्रत्येक के लिए इस प्राधिकरण द्वारा समायोजित रू. 16.76 करोड़ के बजाय समायोजित किए जाने की आवश्यकता है। आईटीआरएचओ गतिविधि से अधिशेष राशि को, दर-गिरावट के सटीक आंकड़े की परिगणना हेतु, साथ के साथ कम करने/घटाने की आवश्यकता है।**

(i) **मार्च 2010 का प्रशुल्क आदेश : [पैराग्राफ नं. 11 (xii) दूसरा पैराग्राफ और पैराग्राफ सं. 11 (xii)]**

(vii) जीटीआईपीएल ने रेल द्वार संवाहित आईसीडी कंटेनरों के इंटर टर्मिनल रेल हैंडलिंग प्रचालंनों (आईटीआरएचओ) से पैदा हुए आय अनुमानों पर विचार किया है। आईटीआरएचओ आय, 2009 से 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक के लिए रू. 164.11 लाख परिगणित होती है। इसके साथ ही जीटीआईपीएल ने, जेएनपीटी और एनएसआईसीटी से अनुमानित प्राप्तियों पर, आईसीडी कंटेनरों के मिश्रित रेल प्रहस्तन के शेयर के रूप में, 2009 से 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक के लिए रू. 35.73 लाख पर विचार किया गया है। वर्ष 2009 से 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए कुल अनुमानित आईटीआरएचओ आय रू. 1674.84 लाख परिगणित होती है।

(xii) लागत विवरणी द्वारा उद्घाटित किए गए परिणाम, संक्षेप में तालिका में यहां नीचे दर्शाए गए हैं :-

ब्यौरा	**2010 (अप्रैल से दिसंबर 2010 तक)**	**2011 जनवरी से दिसंबर 2011 तक**
प्रचालन आय	40501.43	54001.91
शुद्ध अधिशेष (+)/घाटा (-)	3446.79	5760.92
प्रचालन आय की प्रतिशतता	8.51%	10.67%
के रूप में शुद्ध अधिशेष (+)/घाटा(-) 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2011 तक की		9.74%
अवधि के लिए औसत अधिशेष		

लागत स्थिति 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2011 तक की अवधि के लिए 9.74% का औसत अधिशेष दर्शाती है। अतएव 0.27% की प्रस्तावित वृद्धि प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके विपरीत, अपनाई गई लागताधिक विधि के पूर्णतया अनुरूप होने के लिए वर्तमान प्रशुल्क को, संबंधित अवधि के लिए घटाया जाना है।

9.74% की औसत शुद्ध अधिशेष स्थिति 01 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2011 तक की अवधि के लिए अनुमानित प्रचालन आय के संदर्भ से है और कथित अवधि के लिए अनुमानित प्रचालन आय में आईसीडी कंटेनरों के रेल प्रहस्तन प्रचालन (आईटीआरएचओ) से उत्पन्न अनुमानित आय भी शामिल है।

जैसाकि इससे पहले कहा गया है, आईसीडी कंटेनरों के रेल प्रहस्तन -प्रचालन से उत्पन्न अनुमानित आय 2010 और 2011 वर्षो में से प्रत्येक के लिए रू. 1676.84 लाख परिगणित होती है। वर्ष 2010 की शेष नौ माह की अवधि के लिए समानुपातिक रूप से विचार किया जाए तो यह आय रू. 1257.63 लाख होगी। चूंकि आईटीआरएचओ कंटेनरों के लिए प्रशुल्क एक अलग प्रशुल्क आदेश से शासित होता है और वह जेएनपीटी स्थित सभी टर्मिनलों पर समान रूप से लागू है तो लागत स्थिति द्वारा अपेक्षित कमी/गिरावट आईसीडी कंटेनरों के आईटीआरएचओ के लिए रू. 400/- प्रति टीईयू की वर्तमान दर पर लागू नहीं होगी।

संबंधित अवधि के लिए क्रमशः रू. 3446.79 लाख और रू. 5760.92 लाख के शुद्ध अधिशेष को लेखा में लेते हुए और, 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2010 तथा 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक की अवधि के लिए क्रमशः रू. 39243.81 लाख और रू. 52325.08 लाख की समायोजित अनुमानित प्रचालन आय पर विचार करते हुए प्रचालन आय की प्रतिशतता के रूप में औसत शुद्ध अधिशेष 10.05% परिगणित होता है। वर्तमान प्रशुल्क स्तर को

आद्यांत 10% कम किया गया है। अनुमोदित किया जाने वाला संशोधित प्रशुल्क 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर 2011 तक वैध रहेगा।

(ii) **जीटीआईपीएल द्वारा उसके समीक्षा आवेदन में उठाए गए बिंदु** :

प्राधिकरण ने आईटीआरएचओ आय समायोजन किए हैं और इस प्रकार वर्ष 2009 से 2011 तक की प्रचालन आय में से रू. 16.76 करोड़ की आय कम की गई है। मिश्रित रेल प्रहस्तन से होने वाली आय को निम्नानुसार परिगणित किए जाने की आवश्यकता हैः

समस्त आईसीडी मात्रा पर उगाही	रू. 16.40 करोड़
जोडिएः जेएनपीटी/एनएसआईसीटी से से प्राप्त भुगतान	रू. 00.36 करोड़
	रू. 16.76 करोड़
घटाइएः जेएनपीटी को दी गई राशि	रू. 2.42 करोड़
आईटीआरएचओ से शुद्ध आय	रू. 14.34 करोड़

बल्कि आईटीआरएचओ गतिविधि से अधिशेष को दर गिराव के ठीक-ठीक आंकड़े की परिगणना के लिए साथ ही न साथ कम किए जाने की आवश्यकता है। केवल आय को समायोजित किए जाने की आवश्यकता है जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है ।

विश्लेषण : जीटीआईपीएल ने दावा किया है कि दर - गिरावट के ठीक-ठीक आंकड़े की परिगणना के लिए न केवल आय को बल्कि आईटीआरएचओ गतिविधि से अधिशेष को भी, साथ-ही-साथ कम किए जाने की आवश्यकता है। किंतु इस प्रकार का दृष्टिकोण केवल तब ही व्यावहारिक है जब आईटीआरएचओ से संबंधित आय और व्यय का कोई अलग विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए । इस संबंध में अनुरोध के बावजूद जीटीआईपीएल ने न तो, मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश के संबंध में कार्रवाई के दौरान और न ही समीक्षा आवेदन में आईटीआरएचओ सेवा प्रदान करने की लागत प्रस्तुत की है। तथापि जीटीआईपीएल ने, आईटीआरएचओ गतिविधि से उत्पन्नअधिशेष की परिगणना के लिए, रायल्टी को छोड़ते हुए 2009 के ऑडिट किए गए वार्षिक लेखा के आधार पर 67% की दर से ईबीटीडी, मार्जिन लागू करने का अब अनुरोध किया है।जीटीआईपीएल द्वारा वर्णित ईबीटीडी संपूर्ण टर्मिनल के लिए अधिशेष है और यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी टर्मिनल में संचालित विभिन्न गतिविधियां कंपनी के समग्र अधिशेष में समान हिस्सेदारी कमा कर नहीं दे सकती हैं। उस गतिविधि के लिए प्रासंगिक लागत ब्यौरों को जाने बिना उस विशेष गतिविधि के लिए ईबीटीडी निर्धारित करने हेतु, समग्र रूप से टर्मिनल का ईबीटीडी लागू करना वैज्ञानिक नहीं जान पड़ता है। साथ ही जीटीआईपीएल में विभिन्न अलग-अलग सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रशुल्क भी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की लागत के संदर्भ से नहीं है। इस परिस्थिति में यह संभव है कि घाटे में चल रही गतिविधि/गतिविधियों की अधिशेष(मुनाफा) कमाने वाली गतिविधियां आर्थिक सहायता करें। ऐसी स्थिति में आईटीआरएचओ और अन्य गतिविधियों के बीच आर्थिक सहायता के आदान-प्रदान से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आईटीआरएचओ से उत्पन्न होने वाला मुनाफा (अधिशेष) निर्धारित करने के लिए समग्र रूप में टर्मिनल और आईटीआरएचओ के बीज ईबीटीडी अनुपात पर विचार करना सही नहीं जान पड़ता है। फिर भी, यहां यह नोट करना प्रासंगिक है कि समग्र रूप से टर्मिनल के लिए स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक अतिरिक्त अधिशेष पर जीटीआईपीएल के मामले में दर -गिरावट निर्धारित करने के प्रयोजन से विचार किया गया है।

(घ) **5.80% की वार्षिक वृद्धि के साथ अनुमानित प्रबंधन उपरिव्यय का सुधार बहुत कम है।**

(i) **मार्च 2010 का प्रशुल्क आदेश. [पैराग्राफ सं. II (Viii) (एच)]**

(एच) उपरिव्यय प्रबंधन और प्रशासन उपरिव्ययों के बारे में जीटीआईपीएल ने वर्ष 2009 के लिए वर्ष 2008 के वास्तविक पर 17% की वृद्धि प्रस्तावित की है और वर्ष 2010 एवं 2011 के लिए, विभिन्न पिछले वर्षों के (वास्तविकों) पर 18% की वृद्धि प्रस्तावित की है। सामान्य उपरिव्यय के संबंध में, प्रचालक ने वर्ष 2009 के लिए वर्ष 2008 के वास्तविकों पर 10.55% की वृद्धि प्रस्तावित की है और 2010 और 2011 के लिए इनसे पिछले वर्षों के वास्तविकों पर लगभग 7% की वृद्धि प्रस्तावित की है।

वृद्धि की प्रस्तावित मात्रा के लिए कारण कथित योग्यता वृद्धियां एवं वर्ष 2010 के लिए निष्पादनता बोनस बताए गए हैं। जीटीआईपीएल ने यह भी बताया है कि इसने, सीआईएसएफ कार्मिकों की तैनाती के लिए जेएनपीटी द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर, विविध व्यय के रूप मे रू. 2.06 करोड़ के व्यय पर विचार किया है।

जैसाकि पहले स्पष्ट किया गया है मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.51 की अपेक्षा है कि महापत्तनों/निजी टर्मिनल प्रचालकों के व्यय प्रोजैक्शन थोक मूल्य सुचकाक की प्रचलित हलचल के संदर्भ में मूल्यों मे उतार-चढाव के लिए समायोजित यातायात के अनुरूप होने चाहिएं। तद्नुसार, वर्ष 2009 के लिए अनुमानित प्रबंधन एवं प्रशासन उपरिव्यय को, वर्ष 2008 के लिए वास्तविकों पर 5.80% का वृद्धि अवयव लागू करके सुधारा गया है और उसके बाद, कथित रूप से सीआईएसएफ कार्मिकों की तैनाती की लागत की मद में जेएनपीटी द्वारा किये गए रू. 2.06 करोड़ के दावे पर वर्ष 2009 के लिए विचार किया गया। वर्ष 2009 को आधार वर्ष मानते हुए प्रतिवर्ष 5.8% का वृद्धि -अवयव लागू करते हुए वर्ष 2010 एवं 2011 केअनुमान संशोधित किए गए हैं।
वर्ष 2008 के वास्तविकों को आधार मानते हुए 5.8% वार्षिक के ग्राह्य वृद्धि अवयव के अनुरूप वर्ष 2009 से 2011 तक के लिए अनुमानित सामान्य उपरिव्यय को संशोधित किया गया है।

(ii) <u>जीटीआईपीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए बिंदु :</u>

(क) वेतन वृद्धि में दो अवयव, यथा, योग्यता-वृद्धि एवं बोनस शामिल होते हैं। ये अवयव प्रत्येक वर्ष **मर्सर** नामक प्रतिष्ठित एजेन्सी द्वारा किए गए/जाने वाले व्यवस्थित अध्ययन के आधार वार निर्णित किए जाते हैं। ऐसे अध्ययन में उद्योग पर प्रचलित वेतनमान और मुद्रास्फीति (मंहगाई) को ध्यान में रखते हुए शुद्धियां /संशोधन शामिल होते हैं।

(ख) वर्ष 2007 पर वर्ष 2008 के प्रबंधन उपरिव्यय के तुलनात्मक आंकड़े कुल मिलाकर 36% की वृद्धि दर्शाते हैं - आंशिक रूप से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण और 15% की वृद्धि के कारण शुरूआत से यही पद्धति अपनायी गई है और यह, वर्ष 2006 से 2008 के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए, कंपनी के ऑडिट एकाउंट्स में भी सम्मिलित है। उद्योग-जगत में, जहां क्षयण-दर बहुत ऊंची है, 5.8% की अत्यल्प वार्षिक वृद्धि के बल पर कर्मचारियों को रोक पाना मुश्किल है वर्ष 2010 के लिए 14.5% वार्षिक वृद्धि का निर्णय लिया गया है। (जीटीआईपीएल ने अधिकारी एवं कर्मचारी वर्गो के वेतन में 14.5% की औसत वृद्धि दर्शाने वाली एक विवरणी प्रस्तुत की है।

विश्लेषण : इस प्राधिकरण ने संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिनकी अपेक्षा (सभी जिन्सों के लिए) प्रचलित थो. मू. सूचकांक के आधार पर अनुमानित एवं यातायात वृद्धि के लिए समायोजित किया जाने वाला व्यय है। भावी अवधि के लिए महापत्तन न्यासों एवं वहां प्रचालित निजी टर्मिनलों द्वारा प्रस्तुत व्यय अनुमानों को बढाने के लिए थो. मू. सू. लागू किया जाता है।

इस प्राधिकरण ने वित्ती वर्ष 2009-10 के दौरान आदेश दिनांक 28 जुलाई 2009, 5 अगस्त 2009 और 23 फरवरी 2010 के माध्यम से क्रमशः विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लिमि. (वीसीटीपीएल), इंडिया गेटवे टर्मिनल्स प्रा. लिमि. (आईजीटीआईपीएल) और कोच्चिं पत्तन न्यास (सीओपीटी) के प्रशुल्क प्रस्ताव को निपटाने हेतु व्यय प्रोजैक्शनों के संशोधन में प्रयोज्य वृद्धि अवयव को समान रूप से लागू किया गया है। जीटीआईपीएल का तर्क विचार किए जाने योग्य नहीं है।

<u>(ड) इस प्राधिकरण ने इन्वेन्टरी की गणना के लिए मरम्मत और अनुरक्षण लागत में से आरटीजी अनुरक्षण लागत</u>

<u>कम कर दी है। वर्ष 2006 से 2008 के लिए वास्तविक इन्वेंटरी और वर्ष 2009 से 2011 तक के अनुमानों पर जो वर्ष 2006 से 2008 के वास्तविकों के बहुत नज़दीक है, विचार किया जाना चाहिए।</u>

(i) **मार्च 2010 का प्रशुल्क आदेश : [पैरा सं. 11** (vii) (ए) (एए)**]**

(एए) आर टीजी प्रचालन लागत :

जीटीआईपीएल ने कथितरूप से स्पर्धात्मक बोली आधारपर जून 2006 में, आरटीजी का प्रचालन और अनुरक्षण मेसर्स काल्मार को आउटसोर्स कर दिया है। देखा गया कि जून 2006 में जीटीआईपीएल द्वारा निष्पादित एग्रीमैंट पांच वर्ष की अवधि के लिए है। जीटीआईपीएल और कालमागर के बीच निष्पादित क़रार की प्रति से यह भी देखने में आया है कि यह अनुबंध आरटीजी मरम्मत, अनुरक्षण और प्रचालनों से संबंधित कार्य का क्रियान्वयन है। जीटीआईपीएल ने व्यय का लेखा तैयार करने के प्रयोजन से आरटीजी प्रचालक श्रमशक्ति लागत के अंतर्गत आरीटीजी प्रचालन और अनुरक्षण लागत का एक तिहाई प्रत्यक्ष श्रम लागत के रूप में और शेष दो-तिहाई मरम्मत और अनुरक्षण लागत के रूप में बांटा है। व्यय के आबंटन की बांटा को जीटीआईपीएल द्वारा दो अलग शीर्षो में रखा गया है क्योंकि अन्ततोगत्वा कुल व्यय प्रशुल्क को निर्धारित करने हेतु प्रासंगिक है।

[पैराग्राफ सं. II (ix) (e)]

(ई) कार्यसाधक पूंजी :-

इन्वेंटरी के संबंध में, जीटीआईपीएल ने (पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जो से इतर) इन्वेटरी पर, उपकरणों की अनुमानित मरम्मत और अनुरक्षण लागत के 50% पर विचार किया है। मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.9.9 के अन्तर्गत ईंधन को छोड़कर अधिकतम 6 माह के भंडारण की औसत खपत का प्रावधान है। चूंकि भंडार (सामग्री) की खपत पर अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, इस संबंध में जीटीआईपीएल द्वारा अपनाया गया नजरिया इसके प्रशुल्क की अगली समीक्षा में वास्तविक के सत्यापन के अधीन है।

संयोगबश, चूंकि उपकरणों की अनुमानित मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत में आरटीजी की मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत भी सम्मिलित है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जीटीआईपीएल ने आरटीजी की मरम्मत और अनुरक्षण आउटसोर्स कर दिया है, आरटीजी की मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत को छोड़कर उपकरणों की अनुमानित मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत के 50% पर ही विचार किया गया है।

(ii) <u>जीटीआईपीएल द्वारा इसके समीक्षा आवेदन में उठाए गए बिंदु :-</u>

(क) प्राधिकरण ने मरम्मत और अनुरक्षण लागत में से आरटीजी अनुरक्षण लागत कम कर दी है और वर्ष 2006 से 2011 तक के वर्षों के लिए इन्वेंटरी की गणना, मरम्मत और अनुरक्षण लागत के 50% पर की है। जीटीआईपीएल ने यह इन्वेंटरी छः माह की औसत खपत पर परिगणित की है जैसाकि मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.9.9 में वर्णन किया गया है। मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत के 50% पर इन्वेंटरी की गणना की वार्षिक लेखा में प्रतिबिम्बित वास्तविक इन्वेंटरी आंकड़ो से तुलना/समानता की जा सकती है।

(ख) आरटीजी अनुरक्षण लागत को मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत में से हटाने के परिणाम स्वरूप, जैसाकि वर्ष 2006 से 2008 तक के वार्षिक लेखा में दिखाया गया है, वास्तविक इन्वेंटरी आंकड़े उनसे भिन्न हो जाते हैं। आरएमक्यूसी एवं आरटीजी जैसे प्रमुख उपस्करों के साथ लाए गए कस्टमाइज्ड अतिरिक्त पुर्जो (जैसाकि वर्ष 2006 से 2008 तक के वार्षिक लेखा में दिखा गया है और जहां डिलिवरी के लिए लीड-टाइम बहुत ज्यादा है और/या पुर्जे आसानी से न मिलते हों, वहां क्रिटिकल स्पेयर्स के कारण वास्तविक इन्वेंटरी बहुत, अधिक है। प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.9.9 , कस्टमाइज्ड अतिरिक्त पुर्जो की इन्वेंटरी पर कोई सीमा नहीं लगाती है। इसलिए, वर्ष

2006 से 2008 तक के लिए वास्तविक इन्वेंटरी आंकड़े और वर्ष 2009 से 2011 तक के अनुमान जो वर्ष 2006-2008 तक के वास्तविकों के बहुत करीब है, पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा परिष्कृत (तथा) जीटीआईपीएल के वास्तविक/अनुमानित आंकड़े तुलनात्मक रूप से नीचे दिए हैं:-

(रू. करोड़ो में)

वर्ष	वास्तविक			अनुमान		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
जीटीआईपीएल	1.88	5.31	6.64	9.16	9.57	9.99
प्राधिकरण	0.27	1.08	1.93	2.72	2.88	3.05

[जैसाकि मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं. II (ix) (ई) में दर्ज किया गया है, जीटीआईपीएल ने आरटीजी की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य काल्मार को आउट सोर्स कर दिया है। आरटीजी के अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए काल्मार एवं जीटीआईपीएल के बीच निष्पादित एग्रीमैंट के अनुसार, काल्मार की अनिवार्यताओं में आरटीजी मरम्मत कार्य का अनुरक्षण, आरटीजी की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु काल्मार द्वारा अतिरिक्त पुर्जों और अवयवों की आपूर्ति, शामिल है जैसाकि जीटीआईपीएल एवं काल्मार के बीच निष्पादित एग्रीमैंट की धारा 1.2 एवं 5 से देखा जा सकता है।]

(iii) **विश्लेषण :**

2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.9.9 में एक वर्ष की औसत खपत की मात्रा/सीमा तक पूजीगत पुर्जों को सीमित करने का अनुबंध किया गया है, और इन्वेंटरी की अन्य वस्तुओं के मामले में भंडार (वस्तुओं) की छः माह की औसत खपत की सीमा तक अनुबंध किया गया है, मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में संबंधित कार्यवाही में, जीटीआईपीएल ने, मार्गदर्शियों में प्रदत्त मापदंडो का अनुसरण करते हुए इन्वेंटरी का अनुमान लगाने की बजाय उपकरणों की अनुमानित मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत के 50% पर इन्वेंटरी अनुमानित करने का दृष्टिकोण अपनाया। चूंकि भंडार की खपत पर अनुमान उपलब्ध नहीं करवाए गए थे, इस संबंध में जीटीआईपीएल द्वारा अपनाये गये नजरिये पर, अगली समीक्षा में सत्यापन के अधीन विचार किया गया था।

समीक्षा आवेदन में, जीटीआईपीएल ने मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत के आधार पर अनुमानित इन्वेंटरी की उनकी लेखा-बहियों में प्रदर्शित वास्तविक इन्वेंटरी के साथ तुलना की है।यह ध्यान में रखा जाना है कि मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों में प्रासंगिक प्रावधान वर्तमान परिसंपत्ति की मद के रूप में अनुमत करने के लिए इन्वेंटरी के अधिकतमस्तर के लिए मानक प्रदान करता है और एक टर्मिनल प्रचालक द्वारा बरकरार इन्वेंटरी का वास्तविक स्तर प्रासंगिक नहीं है।

वर्ष 2009 के लिए प्रचालन एवं प्रत्यक्ष श्रम लागत तथा उपकरण प्रचालन लागत (जिसमें प्रचालन लागत और काल्मार को देय आरटीजी की मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत भी सम्मिलित है) की मद में अनुमानित व्यय को परिष्कृत करते हुए वर्ष 2008 के लिए वास्तविकों पर 5.80% की वृद्धि अनुमत की गई थी क्योंकि आरटीजी के प्रचालन और अनुरक्षण जीटीआईपीएल एवं काल्मार के बीच निष्पादित एक अन्य अनुबंध से शासित है। आरटीजीके प्रचालन अनुरक्षण जीटीआईपीएल एवं काल्मार के बीच निष्पादित एक अन्य अनुबंध से शासित है आरटीजी के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए काल्मार को किए जाने वाले अनुबंधीय भुगतान में आवश्यक इन्वेंटरी को बरकरार रखना भी शामिल है। जैसाकि कामचलाऊ अनुबंध को प्रचालन व्यय के अनुमानों में मान्य किया गया है तो भी, परिणाम स्वरूप आने वाला व्यय वृद्धि के अनुमेय स्तर से अधिक था, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि अनुबंध के प्रभाव की इसी विश्लेषण में अन्यत्र हर जगह अनदेखी की जाए।

आरटीजी के पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जों के प्रति किए गए लेखा-व्यवहार प्रदान करने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, जीटीआईपीएल ने दिनांक 2 अगस्त 2010 के अपने पत्र के अन्तर्गत एक सूची प्रस्तुत की है जो जीटीआईपीएल द्वारा आरएमक्यूसी, आरएमजीसी तथा स्प्रैंडरों के लिए पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जों की खरीद दर्शाती है। जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत की गई सूची से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि यह सूची आरटीजी के संदर्भ में पूंजीगत कलपुर्जों की वास्तविक वार्षिक खपत नहीं प्रदान करती है।

जैसाकि इन्वेंटरी की गणना में कोई गलती दिखायी नहीं दी है, वर्ष 2006 से 2008 तक के वर्षों के लिए वास्तविक इन्वेंटरी और वर्ष 2009 से 2011 तक के वर्षों के लिए अनुमानों के आधार पर समीक्षा के लिए जीटीआईपीएल का अनुरोध अस्वीकृत किया जाता है।

(एच) पिछले अधिशेष का पूर्ण समायोजन प्रशुल्क मार्गदर्शियों के विपरीत है, पिछले अधिशेष का केवल 50% ही समायोजित किया जाना चाहिए।

(i) मार्च 2010 का प्रशुल्क आदेश [पैराग्राफ सं. 11 (iii) (i) और (vi) (ए)]

(i) जीटीआईपीएल ने अपना प्रचालन 15 मार्च 2006 को आरंभ किया था। और एक अन्तरिम उपाय के रूप में, इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार जेएनपीटी के दरमान में प्रदत्त प्रशुल्क लगाते हुए सुविधाएं प्रचालित की थीं। जैसाकि पहले बताया गया है, संशोधित दरें 13 अक्टूबर 2006 को ही प्रभाव में आयीं। जीटीआईपीएल को वर्ष 2006 में रू. 84441.22 लाख का घाटा हुआ था, और उसने वर्ष 2007 और वर्ष 2008 के दौरान स्वीकार्य लागत एवं अनुमेय प्रतिलाभ से क्रमशः रू. 5419.01 लाख औ- रू. 12152.95 लाख अतिरिक्त अधिशेष (मुनाफा) कमाया है। वर्ष 2006 का धाढा समायोजित करने के बाद कथित तीन वर्षों के लिए सकल अतिरिक्त अधिशेष स्थिति रू. 9130.74 लाख परिगणित होती है।

जीटीआईपीएल के वास्तविक भौतिक (व्यावहारिक) निष्पादन का विश्लेषण समग्ररूप से, 2006 से 2008 तक के वर्षों के लिए विचारित अनुमानों की तुलना में, वास्तव में 26% की वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 अनुबंधित करती है कि यदि प्रोजैक्शन की तुलना में निष्पादनता में वृद्धि 20% से अधिक देखी जाए तो पहले से कमाये गए लाभ में से 50% को, प्रशुल्क के संशोधन के समय समायोजित किया जाएगा। किन्तु, जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत यातायात अनुमानों पर भरोसा करते समय, देश के सामान्य आर्थिक विकास की नजर से और इसलिए, उचित समय पर कंटेनर व्यापार में वृद्धि की नजर से इस प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि अनुमानों में भिन्नता के लिए समायोजन पर मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 के अनुसार विचार नहीं किया जाएगा किन्तु जैसाकि 26 अगस्त 2006 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं. 12 में रिकार्ड किया गया है, अनुमान भिन्नता के संदर्भ से उत्पन्न होने वाले, यदि कोई हो तो, अतिरिक्त अधिशेष को समायोजित करना पूरी तरह न्यायोचित होगा। संयोगवश, जीटीआईपीएल के वर्तमान दरमान की वैधता 30 जून 2009 तक बढ़ाने वाले दिनांक 27 मार्च 2009 के आदेश के पैराग्राफ 6 में किया गया उल्लेख कि प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 जीटीआईपीएल की वास्तविक प्रत्यक्ष एवं वित्तीय निष्पादनता की केवल 31 दिसंबर 2008 तक समीक्षा के लिए ही लागू की जाएगी, नजर की एक भूल-चूक है। मूल वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अर्जित अधिशेष का पूर्ण समायोजन वह शर्त है जो सामान्य आदेश सं. टीएएमपी/23/2003 डब्ल्यू एस दिनांक 30 सितंबर 2008 के माध्यम से सभी पत्तनों/टर्मिनलों के लिए पहले से ही समान रूप से निर्धारित है। इसके अलावा, अनुमान भिन्नता का प्रश्न वर्ष 2009 में तो उठता ही नहीं क्योंकि पिछला प्रशुल्क केवल 2008 तक के अनुमानों पर विचार करके ही निर्धारित किया गया था।

जीटीआईपीएल ने अब तर्क दिया है कि पिछले अधिशेष का समायोजन प्रशुल्क मार्गदर्शियों के संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहिए जैसाकि बढ़ी हुई मात्रा उसकी प्रचालनीय दक्षता का परिणाम थी। 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शी इस प्राधिकरण को किसी भी प्रावधान से भिन्न जाने की अनुमति प्रदान करते हैं और इस प्राधिकरण ने वर्णित कारणों से, जीटीआईपीएल के मामले में अनुमान भिन्नता से अलग तरह से निबटने का निर्णय लिया है कि इसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, एक अग्रिम सूचना थी जो अगस्त 2006 में ही दी गई थी। दूसरे शब्दों में, अगस्त 2006 में प्रदत्त प्रशुल्क वृद्धि, प्रचलित चक्र में अनुमान भिन्नता के प्रभाव को पूरी तरह समायोजित करने वाली शर्त के अधीन थी। पहले से ले लिए गए फैसले की समीक्षा करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

(vi) (**क**) जीटीआईपीएल ने मई 2009 में प्रस्तुत अपने संशोधित प्रस्ताव में वर्ष 2009-2011 तक के वर्षों के

लिए क्रमशः लगभग 12.00 लाख टीईयू, 13.80 लाख टीईयू और 15.80 लाख टीईयू यातायात का अनुमान लगाया था। जीटीआईपीएल के प्रस्ताव पर प्रति क्रिया देते हुए जेएनपीटी ने महसूस किया कि जीटीआईपीएल द्वारा परिगणित यातायात अनुमान अनुदारवादी हैं। इस प्रकरण में आयोजित संयुक्त सुनवाई में, बीसीसीआई ने उल्लेख किया कि 2009 के पूरे वर्ष जीटीआईपीएल द्वारा प्रहस्तित किए जाने के लिए अपेक्षित यातायात (की मात्रा) पहले ही अर्जित हो चुका है और वर्ष 2009 की समाप्ति को अभी दो माह शेष हैं और उसने जीटीआईपीएल द्वारा प्रदत्त यातायात की ध्यान पूर्वक जांच-पड़ताल किए जाने की मांग की। तदनन्तर, हमारी सलाह पर जीटीआईपीएल ने वर्ष 2009 के यातायात अनुमान को संशोधित किया है और उसे बढ़ाकर 15,18,038 टीईयू कर दिया है। जीटीआईपीएल ने वर्ष 2010 एवं 2011 के लिए भी इस आधार पर यातायात का वही स्तर बरकरार रखा कि वैश्विक मंदी अभी पूरी तरह से नहीं गई है।

जैसाकि बीसीएचएए द्वारा ठीक ही आब्जर्व किया गया था, वर्ष 2009 को आर्थिक मंदो के साथ जूझने वाला एक अपवाद वर्ष माना जा सकता है। वर्ष 2009 के उत्तरार्ध ने पुनरूस्थान की संभावनाए जगायीं जो जीटीआईपीएल में मासानुमास मात्रा वृद्धि से भी स्पष्ट होता है। जीटीआईपीएल ने जेएनपीटी में उच्चमांग स्थिति से निपटने के लिए दो अतिरिक्त आरएमक्यूसी और कुछ आरटीजी पर किए निवेश का औचित्य बताया है। ऐसी पृष्ठभूमि में अगले दो वर्षों के लिए माल ढुलाई का वही स्तर बनाए रखना बहुत समाधानकारक नहीं लगता है। यह प्राधिकरण अलग-अलग पत्तनों और टर्मिनलों के लिए कोई स्वतंत्र यातायात अध्ययन नहीं करता है। न तो जेएनपीटी ने और न ही किसी प्रमुख उपयोग कर्ता एसोसिएशन ने जीटीआईपीएल स्थित संभावित भावी यातायात परिदृश्य पर कई विवरण प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में जीटीआईपीएल के यातायात अनुमान का, किसी भी तथ्य एवं कारण के साथ एक पक्षीय संशोधन नहीं किया जा सकता है। जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत यातायात प्रोजैक्शनों पर इस विश्लेषण के प्रयोजन से विश्वास किया जाता है। किन्तु, जीटीआईपीएल को यातायात में वास्तविक निषादनता में भिन्नता के कारण यदि कोई अनावश्यक लाभ पहुंचा पाया जाता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रोजेक्टड यातायात वर्ष 2010 और 2011 के लिए वृद्धि की योजना नहीं करता है, और इस कवायद में अतिरिक्त निवेश पर विचार किया गया है, यातायात में भिन्नता के प्रभाव पर मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 के अनुसार विचार नहीं किया जाएगा बल्कि उसे अगले चक्र में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा।

(ii) **जीटीआईपीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए मुद्दे :**

(क) 2009 से 2011 तक के वर्षों के लिए यातायात प्रोजैक्शन, दिनांक 3 दिसंबर 2009 के इसके पत्र के माध्यम से प्राधिकरण की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2009 से 2011 तक क्रमशः 1.2 मिलि. टीईयू टीईयू 1.38 मिलि. टीईयु और 1.58 मिलि. टीईयू से प्रति वर्ष 1.51 मिलि. संशोधित कर लिए गए थे, कथित प्रोजैक्शन (ईयर टू डेट) नवंबर 2009 की मालढुलाई पर आधारित हैं जैसाकि जीटीआईपीएल

द्वारा उसके 7 दिसंबर 2009 के प्रस्ताव में वर्णन किया गया है। इसके अलावा जेएनपीटी में व्यापार मात्रा में कुल मिलाकर 8% की गिरावट थी।

(ख) एक समझदार टर्मिनल प्रचालक के रूप में और व्यापार तथा देश के हित में जीटीआईपीएल अपने संसाधनों का उपयोग करने में अग्रणी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग - जगत को जेएनपीटी के उपयोग के लाभ से वंचित नहीं किया जाता है। टर्मिनल मालढुलाई की बढ़वार पूरी तरह से व्यापार - जगत की बढ़वार पर निर्भर हैं जो वर्ष 2009 में 8% कम हो गई, और टर्मिनल केवल सुविधा प्रदाता के रूप में ही काम करता है।

(ग) मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 में ऐसे प्रोद्‌भूत किसी भी लाभ के 50% के समायोजन का प्रावधान किया गया है जहां, मुनाफा (अधिशेष) 20% से अधिक है, पूरा-पूरा समायोजन मार्गदर्शियों के विपरीत होगा। इससे टर्मिनल प्रचालक को प्रचालन दक्षता का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि मालढुलाई की सीमा बंदी से व्यापार -जगत को लाभ नहीं मिलेगा और देश का भी नुकसान होगा। मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों को बरकरार रखा जाए और किसी भी लाभ के 50% को अगले प्रशुल्क चक्रमें समायोजित किया जाए, यदि लाभ भिन्नता 20% से अधिक है।

(ii) विश्लेषण :

(क) 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13, भावी प्रशुल्क में पिछले अधिशेष के समायोजन के लिए पत्तन प्रचालक के अनुमानों और वास्तविकों के बीच +/- 20% से अधिक प्रत्यक्ष/वित्तीय निष्पादनता अन्तर का मानदंड निर्धारित करता है। इस प्राधिकरण ने, पिछले प्रशुल्क चक्र में जीटीआईपीएल को प्रोद्‌भूत पिछले अतिरिक्त अधिशेष की मात्रा सुनिश्चित करने से पहले, मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में इस मार्गदर्शी स्थिति का अनुपालन किया है।

(ख) 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शी की धारा 2.13 भी, नवी शुल्क में पिछले अधिशेष के 50 % के समायोजन का प्रावधान करती है, यदि प्रत्यक्ष/वित्तीय निष्पादनता में +/- 20% से अधिक की भिन्नता (अंतर) है। किन्तु, जीटीआईपीएल को प्रोद्‌भूत पिछले पूर्व अतिरिक्त अधिशेष को भावी अवधि में समायोजित करने के लिए विचार किया गया था। पिछले समस्त अधिशेष को भावी प्रशुल्क में समायोजित करना इस प्राधिकरण द्वारा अगस्त 2005 के प्रशुल्क आदेश मं पहले से लिए गए निर्णय से प्रवाहित होता है। यह शर्त इसलिए लगायी गई थी क्योंकि यह प्राधिकरण वर्ष 2006 से 2008 तक के वर्षों के लिए जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत यातायात पूर्वानुमान से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। जैसाकि यह सामने आया, कि प्रहस्तित किया गया वास्तविक यातायात अनुमान से 26% अधिक था। अगस्त 2006 के आदेश में प्रदत्त प्रशुल्क वृद्धि उस शर्त के अधीन थी कि भावी अवधि में पूर्ण अधिशेष समायोजित किया जा सकता है। अगस्त 2006 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित प्रशुल्क बिना किसी विलम्ब के जीटीआईपीएल द्वारा लागू कर दिया गया था। आदेश के लाभकारी भाग का आनंद लेने के बाद जीटीआईपीएल उसी आदेश के दुर्वह ताग को छोड़ने की मांग नहीं कर सकता।

(ग) जीटीआईपीएल ने आर्थिक मंदी के प्रभाव के बरकरार रखते, हुए और किसी यातायात वृद्धि पर विचार किए बिना, वर्ष 2009 के लिए अनुमानित यातायात का स्तर, वर्ष 2010 और 2011 के लिए भी बरकरार रखा। उसी समय, जीटीआईपीएल ने जेएनपीटी में अत्यधिक मांग की स्थिति से निपटने के लिए कंटेनर प्रहस्तन उपकरण पर अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव किया था। मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में, जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत यातायात प्रोजैक्शनों पर विश्वास किया गया था और प्रतिलाभ अनुमत करने के प्रयोजन से, कंटेनर प्रहस्तन उपकरण पर अतिरिक्त निवेश को एकाउंट में लिखा गया था। यह इस शर्त पर था कि यातायात में भिन्नता का प्रभाव पर मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 के अनुसार विचार नहीं किया जाएगा बल्कि उसे पूरी तरह समायोजित

किया जाएगा। फिर भी, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समूचे अतिरिक्त अधिशेष पर केवल तभी समायोजन के लिए विचार किया जाएगा यदि अनुमानित और वास्तविक यातायात के बीच भिन्नता (अंतर) +/- 20% से अधिक होगा, जैसाकि मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 में अनुबंधित है। इस विशेष बिन्दु को मार्च 2010 के आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया था।

(छ) <u>हैच कवर्स के प्रहस्तन, रीफरमानीटरिंग प्रभारों, खतरनाक कंटेनरों अति विशालकाय पोतान्तरण कंटेनरों और खतरनाक कंटेनरों के पोतान्तरण हेतु प्रस्तावित वृद्धि पर विचार नहीं किया गया।</u>

(i) **जीटीआईपीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में लाए गए बिन्दु :**

(**क**) (**1**) जीटीआईपीएल ने खाड़ी के रास्ते हैच कवर प्रभारों में वृद्धि की और पोतों पर, प्रचलित दरों से 0.27% वृद्धि की मांग का प्रस्ताव किया है। किन्तु, इस प्राधिकरण ने इस प्रकार की विशिष्ट वृद्धि न प्रदान करने का कारण बताए बिना, वर्तमान दरों पर आद्यांत 10% की कटौती का आदेश दिया है।

(**2**) जैसाकि हैच कवर प्रहस्तन टर्मिनल को अवसर की क्षति/हानि है, ये सेवाएं व्यापार -जगत के लिए वैल्यू-एडेड -सर्विसिस हैं। अधिक विद्युत खपत और बिजली की बढ़ती हुई प्रति यूनिट दर के कारण रीफरमानीटरिंग प्रभार पर लागत वसूली अपर्याप्त है। जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तावित दरों और एनएसआईसीटी स्थित दरों पर जीटीआईपीएल स्थित प्रचलित हैच कवर प्रभारों तथा रीफरमानीटरिंग प्रभारों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शायी गई हैः-

(राशि : अम. डालरों में)

गतिविधि	**जीटीआईपीएल (प्रचलित)**	**जीटीआईपीएल (प्रस्तावित)**	**जीटीआईपीएल (अनुमोदित)**	**जीटीआईपीएल (प्रचलित)**
हैच कवर शिफ्टिंग खाड़ी के रास्ते	72.90	90	65.61	85.71
हैच कवर शिफ्टिंग पोत पर	29.19	40	26.24	34.30
रीफर मानीटरिंग चार्जेज़	4.86	6.25	4.37	8.57

(ख) खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए जीटीआईपीएल के वर्तमान दरमान में प्रदत्त दरें सामान्य कंटेनरों की दरों से 1.154 गुना अधिक है। आदर्शरूप में, ये दरें सामान्य कंटेनरों की दरों से 1.25 गुना अधिक होनी चाहिए। इसलिए, उतनी मात्रा में, खतरनाक कंटेनरों की दरों को ठीक करने के लिए प्रस्तावित दरमान में एक संशोधन मांगा गया था, उस मांग का अनुमोदित दरमान में पूरा/स्पर्श नहीं किया जाता है, इस प्राधिकरण से दरमान को संशोधित करने का अनुरोध किया जाता है। क्योंकि जेएनपीटी में यह एक स्वीकृत व्यापारिक परंपरा है।

(ग) (i) जीटीआईपीएल का वर्तमान दरमान सामान्य पोतान्तरण कंटेनरों और खतरनाक पोतान्तरण कंटेनरों में कोई मद नहीं करता दोनो के लिए प्रति 20 फीट कंटेनर दर रू. 3540/- है, प्रस्तावित दरमान में जीटीआईपीएल ने खतरनाक पोतान्तरण कंटेनरों के लिए सामान्य पोतान्तरण कंटेनरों की दर का 1.25 गुना प्रस्तावित करके इस गलती को सुधारा है जिसे इस प्राधिकरण द्वारा स्पर्श नहीं किया गया है।

(ii) इसी प्रकार, अतिरिक्त कंटेनरों (ओडीसी) के पोतान्तरण के लिए दर मी सामान्य पोतान्तरण कंटनरों के लिए दर का दो गुना किए जाने की आवश्यकता है। इस विशेष दर को भी प्रस्तावित दरमान में ठीक किया गया

था किन्तु अनुमोदित दरमान में यह केवल पोत से यार्ड गतिविधि के लिए दर (रू. 2716 x 2 = रू. 5522/-) का दोगुना है। इसे ठीक करके रू. 6372/- (रू. 3186 x 2) किया जाना चाहिए क्योंकि पोतान्तरण कंटेनरों के लिए दरे हमेशा कंपोजिट होती है।

(ii) **विश्लेषण (क) :** जीटीआईपीएल ने खाड़ी के रास्ते हैच कवर शिफ्टिंग प्रभारों में और पोत पर हैच कवर शिफ्टिंग प्रभारों में वृद्धि के लिए प्रस्ताव किया था। वृद्धि का यह प्रस्ताव, मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश से संबंधित कार्यवाही में इसके द्वारामांगी गई 0.27% की सामान्य वृद्धि के अलावा था।

जीटीआईपीएल ने न तो कोई औचित्य प्रस्तुत किया और न ही, संबंधित कार्यवाही में कथित प्रशुल्क मद के संबंध में इसके द्वारा मांगी गई वृद्धि के उच्चतर स्तर को राजस्व प्रभाव प्रस्तुत किया है। अधिशेष स्थिति जैसी जीटीआईपीएल की लागत विवरणी में दर्शायी गई है, तात्कालिक रूप से जीटीआईपीएल में प्रचलित स्तर पर थी, इसलिए खाड़ी के रास्ते हैच कवर शिफ्टिंग और पोत पर हैच कवर शिफ्टिंग जैसी प्रशुल्क मदों समेत जीटीआईपीएल की तात्कालिक प्रचलित दरों में 10% की कटौती की गई थी।

यह नोट करने लायक है कि जीटीआईपीएल के मामले में हैच कवर शिफ्टिंग के लिए प्रदत्त दर का सामान्य कंटेनर प्रहस्तन के लिए दर के बीच अनुपात लगभग 94% है जो वही है जो जेएनपीटी द्वारा प्रचालित कंटेनर टर्मिनल पर प्रचलित है। अन्य महात्तनों में (एनएसआईसीटी और इंद्रित कंटेनर टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड को छोड़कर) अन्य कंटेनर टर्मिनलों में देखा गया है कि यह अनुपात लगभग 63% से 79% के बीच है। इसलिए, हैच कवर शिफ्टिंग के लिए जीटीआईपीएल द्वारा उच्चतर प्रशुल्क के लिए की गई मांग को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

यह नोट करने योग्य है कि पूर्व-संशोधित दरमान में कंटेनरों के लिए हैच कवर प्रहस्तन तथा सामान्य प्रहस्तन प्रभारों की प्रदत्त दरों में विभेद मार्च 2010 के आदेश में बरक़रार रखा गया था। इस विषय में जीटीआईपीएल के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

(**ख**) अपने प्रस्ताव में जो मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश द्वारा निपटाया गया था, जीटीआईपीएल ने, इसके द्वारा वृद्धि रीफरमानीटरिंग एवं कनैक्शन के बारे में मांगी गई सामान्य वृद्धि से 3021% अधिक की वृद्धि मांगी थी। जीटीआईपीएल ने संबंधित कार्यवाही में न तो कोई औचित्य प्रस्तुत किया और न ही कथित प्रशुल्क मद के संबंध में इसके द्वारा मांगी गई वृद्धि के उच्चतरस्तर के लिए कोई राजस्व निहितार्थ प्रस्तुत किया। पिछले पैराग्राफ में वर्णित कारणों से कथित सेवा के लिए प्रचलित दर मी 10% घटाई गई थी।

रीफर मानीटरिंग एवं कनैक्शन के लिए प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि का आधार बिजली की अधिक खपत और बिजली की प्रतियूनिट बढ़ती दर को बताया गया है। जैसाकि मार्च 2010 के आदेश के पैराग्राफ सं. 11 (viii (बी) (बीए) में दर्ज किया गया है, इस प्राधिकरण ने पड़ोसी टर्मिनल एनएस आईसीटी की 12 यूनिट प्रति टीईयू की विद्युत खपत की तुलना में 13.73 यूनिट प्रति टीईयू की विद्युत खपत को स्वीकार कर लिया है। जीटीआईपीएल के लिए उच्चतर विद्युत खपत जीटीआईपीएल में, कथित रूप से, रीफर कंटेनरों की अधिक संख्या में प्रहस्तन किए जाने के कारण स्वीकार की गई है, जैसाकि कथित पैराग्राफ में दर्ज है। मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचार की गई रू. 11.46 प्रति टीईयू की यूनिट दर का यथोचित समय पर जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत दस्ताएवेजी सबूतों द्वारा समर्थन किया गया है। जीटीआईपीएल द्वारा अब ऐसी कोई नई स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है जो रीफर मानीटरिंग एवं कनैक्शन के लिए प्रभारों में वृद्धि की मांग करे।

चूंकि रीफर कंटेनरों के प्रहस्तन से संबंधित खर्चो पर मार्च 2010 के आदेश में विचार विमर्श हो चुका है, रीफर मानीटरिंग एवं कनैक्शन के लिए उच्चतर प्रभार प्रदान न करने से जीटीआईपीएल किसी मुसीबत/मुश्किल में नहीं पड़ जाएगा।

(ग) पोत से यार्ड तक खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारों के बारे में पूर्व-संशोधित दरमान में प्रदत्त दर, पोत से यार्ड तक सामान्य कंटेनरों के लिए प्रदत्त प्रभारों से 15.38 % अधिक हैं। अपने पिछले प्रस्ताव में जीटीआईपीएल ने खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए, सामान्य कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरों से 25 % अधिक प्रीमियम का प्रस्ताव किया था। चूंकि उस समय, प्रचलित दरों पर आद्यांत 10% कटौती करने का निर्णय लिया गया था, संशोधन के बाद भी खतरनाक और सामान्य कंटेनरों के बीच 15.38% का अंतर फिर भी बना रहा। संयोगवश खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रीमियम में प्रस्तावित वृद्धि का वित्तीय निहितार्थ उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश से संबंधित प्रक्रिया (कार्यवाही) के दौरान जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत आय-अनुमान जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत की गई गणनाओं के संदर्भ से सत्यापित किया गया था। गणनाओं की पुनः जांच करने पर देखा गया है कि खतरनाक कंटेनरों से आय की गणना के लिए, जीटीआईपीएल ने कुछ ऐसी दरों पर भी विचार किया है जो पूर्व-संशोधित दरमान के अनुसार नहीं हैं। जीटीआईपीएल द्वारा इस संबध में विचार की गई दरें, उस समय खतरनाक कंटेनरों के लि प्रदत्त प्रचलित दरों से कहीं ज्यादा थीं। उस समय की स्थिति को दर्शाती हुई एक संक्षिप्त तालिका नीचे दी गई हैं :-

विवरण	मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचारित खतरनाक कंटेनरों की संख्या	मार्च 2010 के आदेश के आय अनुमान में विचारित राजस्व		पूर्व-संशोधित दरमान में प्रदत्त दरों पर आधारित राजस्व		गलतों से अनुमानित अतिरिक्त
		दर	राजस्व (रू.)	दर	राजस्व (रू.)	
20	43812	4130	180943560	3540	155094480	25849080
40	5315	6159	32925862	5310	28222650	4703212
40 से बड़ा	4	8260	36044	7080	28320	7724
			213905465		183345450	30560016

गलती से अनुमानित अतिरिक्त आय रू. 305.60 लाख प्रतिवर्ष परिगणित होती है जिसे 2009 से 2011 तक के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित प्रचालन आय में से बाहर रखे जाने की आवश्यकता है। यह नोट करने लायक है कि जीटीआईपीएल ने इस बात की पुष्टि की है कि दरें केवल दरमानों के अनुसार ही लगाई गई थीं।

2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 5.7.3, खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन प्रभारों के लिए 25% तक प्रीमियम की इजाज़त देती है। वास्तव में, जीटीआईपीएल में मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश से संबंधित प्रस्ताव में खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए इससे पहले प्रदत्त दरों को समुचित रूप से संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि कंटेनरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रदत्त प्रहस्तन प्रभारों पर 25% के प्रीमियम का प्रस्ताव किया था। इसलिए, ख़तरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए इससे पहले प्रदत्त दरों को समुचित रूप से संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि कंटेनरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रदत्त प्रहस्तन प्रभारों पर 25% प्रीमियमन को लागू किया जा सके। ऊपर वर्णित संशोधन के कारण अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक आय नीचे परिगणित की गई हैः-

विवरण	मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचारित खतरनाक कंटेनरों की संख्या	9.62% के अतिरिक्त प्रीमियम के आधार पर राजस्व	
		दर (रू.)	राजस्व (रू.)
20 फीट	43812	295	1292450.00
40 फीट	5315	442.50	2351887.50
40 फीट से बड़े	4	590.00	2360.00
			15278787.50

इस प्रकार, अतिरिक्त आय रू. 152.79 लाख प्रति वर्ष परिगणित होती है। (रू. 1986.24 लाख - रू. 1833.45 लाख)

(घ) (i) मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश के माध्यम से अधिसूचित दरमान में और मार्च 2010 से पहले प्रचलित दरमान में खतरनाक कंटेनरों के पोतान्तरण और अतिविशालकाय कंटेनरों के पोतान्तरण के प्रहस्तन के लिए दरें वही हैं जो क्रमशः सामान्य खतरनाक कंटेनरों और सामान्य ओडीसी कंटेनरों के लिए हैं।

जीटीआईपीएल ने ख़तरनाक पोतान्तरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए, सामान्य पोतान्तरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरों की तुलना में 25% प्रीमियम का प्रस्ताव किया है।

इस बारे में वित्तीय निहितार्थ (परिणाम) प्रस्तुत करने हेतु एक प्रश्न के उत्तर में जीटीआईपीएल ने, डाटा उपलब्ध न होने के कारण अतिरिक्त आय की सही-सही मात्रा बताने में असमर्थता व्यक्त की है। किन्तु, इसने कहा है कि इस मद में आय नगण्य होगी क्योंकि इस श्रेणी में यातायात बहुत कम होगा संयोगवश, जीटीआईपीएल ने न तो यातायात ही प्रस्तुत किया है और न ही मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश से संबंधित इसके प्रस्ताव में इस श्रेणी से आय ही दर्शायी गयी है। किन्तु मार्च 2010 के आदेश से संबंधित प्रशुल्क प्रक्रिया में जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तुत यातायात प्रोजैक्शनों से यह दिखाई देता है कि खतरनाक कंटेनरों की कुल संख्या जीटीआईपीएल के कुल यातायात का लगभग 3% होती है। इस प्रकार, खतरनाक पोतान्तरण कंटेनरों की प्रतिशतता किसी भी प्रकार से 3% से कम होगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 5.7.3 खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए 25% के प्रीमियम की इजाज़त देता है। पोतान्तरण खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रचलित प्रभारों को संशोधित किया गया है ताकि सामान्य पोतान्तरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रदत्त दरों पर 25% प्रीमियम प्रभावी किया जा सके।

(ii) जीटीआईपीएल के पूर्व - संशोधित दरमान ने पोतान्तरण ओडीसी समेत सभी अतिविशालकाय कंटेनरों (ओडीसी) के प्रहस्तन के लिए समान दरें प्रदान की थीं। मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश से संबधित अपने प्रस्ताव में जीटीआईपीएल ने पोतान्तरण ओडीसीज के लिए सामान्य पोतान्तरण कंटेनरों के लिए दरों से दो गुना दरें प्रस्तावित की थीं। किन्तु, इस विश्लेषण में पहले वर्णित कारणों से, पूर्व संशोधित दरों में, जीटीआईपीएल द्वारा किए गए अनुरोध पर अमल किए बिना, 10% कटौती की गई थी।

2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शी ओडीसीज के प्रहस्तन के लिए उच्चतर दरों का अनुबंध नहीं करते। एनएसआईसीटी स्थित पड़ोसी टर्मिनल में और जेएनपीटी द्वारा प्रचालित कंटेनर टर्मिनल में ओडीसीज़ के लिए प्रदत्त दरें पोतान्तरण ओडीसी कंटेनरों और अन्य ओडीसी कंटेनरों के बीच अंतर नहीं करतीं । यह तो स्वीकृत है कि ओडीसीज़ के प्रहस्तन में अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। किन्तु, लागत ब्यौरों की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है और अलग से प्रस्तुत भी नहीं की गई है। यदि कोई अतिरिक्त लागत है तो वह हर हाल में संपूर्ण टर्मिनल के लिए व्यय-अनुमानों में शामिल (निर्वित) है। इसलिए, यह प्राधिकरण इस संबंध में जीटीआईपीएल द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। पोतान्तरण ओडीसीज़ के प्रहस्तन के लिए यदि उच्चतर दरें प्रदान नहीं की जाती है तो जो जीटीआीपीएल के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। जीटीआईपीएल अपने प्रशुल्क की अगली समीक्षा में पोतान्तरण ओडीसी के प्रहस्तन के लिए उच्चतर प्रभार प्रस्तावित कर सकता है। अपनी मांग के समर्थ में उसे लागत ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे।

<u>ओडीसी कंटेनरों के लिए प्रवास समय (ड्वैल टाइम) प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया।</u>

[पैराग्राफ सं. 11(xx)]

(i) <u>मार्च 2010 का प्रशुल्क आदेश</u>

(xx) वर्तमान व्यवस्था में, अत्यधिक ऊंचाई तथा अत्यधिक बड़े आकार के कंटेनर के लिए, लगने वाले सामान्य प्रभारों का 1.25 गुना प्रवास समय प्रभार लगता है। कंटेनरों की कथित श्रेणी के लिए प्रवास-समय प्रभार में प्रचलित 1.25 गुना से दो गुना वृद्धि प्रस्तावित करने का कारण स्तर अस्पष्ट ही रहा है। वर्तमान प्रावधान बिना किसी परिवर्तन के जारी रह सकता है।

(ii) <u>जीटीआईपीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में प्रस्तुत बिंदु</u>

जीटीआईपीएल ने ओडीसी कंटेनरों के लिए, सामान्य कंटेनरों के लिए प्रवास-समय प्रभार से दो गुनी दर पर प्रवास-समय प्रभार प्रस्तावित किए हैं। ऐसा इस लिए क्योंकि ओडीसी कंटेनरों की अपेक्षाकृत अधिक स्थान की जरूरत होती है और ओडीसी के ऊपर कंटेनरों का ढेर नहीं लगाया जा सकता। जेएनपीटी और एनएसआईसीटी में ओडीसी कंटेनरों के लिए प्रवास समय प्रभार, सामान्य कंटेनरों के लिए प्रवास समय प्रभारों का तीन गुना है। किन्तु प्राधिकरण ने अनुमोदित दरमान में सामान्य कंटेनरों के लिए प्रवास समय प्रभार दर के 1.25 गुना पर ओडीसी कंटेनरों के लिए प्रवास प्रभार, ऐसा करने के लिए कोई औचित्य दिए बिना, प्रदान किया है।

(iii) <u>विश्लेषण</u>

जैसाकि जीटीआईपीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में स्पष्ट किया गया है, ओडीसी कंटेनर अपेक्षाकृत अधिक स्थान घेरते हैं और कंटेनर्स को ओडीसी के ऊपर ढेर लगाकर नहीं रखा जा सकता है। यह नोट करने योग्य है कि पड़ोसी टर्मिनलों पर ओडीसी कंटेनरों के लिए प्रवास समय प्रभार, सामान्य कंटेनरों के लिए प्रवास समय दर के तीन गुना पर प्रदान किया गया है।

हालांकि कोई विस्तृत परिगणना प्रस्तुत नहीं की गई है, जीटीआईपीएल ने प्रवास समय प्रभार से संबंधित वर्तमान प्रवाधानों में समस्त संशोधन से उत्पन्न कुल अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ की मात्रा रू. 3.38 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की है जिसमें, ऐसा जान पड़ता है, अति विशाल कंटेनरों के लिए प्रवास-समय प्रभार में प्रस्तावित वृद्धि की मद में अतिरिक्त आय भी शामिल है। जीटीआईपीएल द्वारा बतायी गई इस स्थिति पर विश्वास किया गया। संयोगवश, मार्च 2010 के आदेश से संबंधित यातायात कार्यवाही में जीटीआईपीएल द्वारा अनुमानित ओडीसी यातायात कुल यातायत का लगभग 0.50% ही होता है। इस पृष्ठ भूमि में, यह प्राधिकरण, मार्च 2010 के आदेश से संबंधित यातायात कार्यवाही में जीटीआईपीएल द्वारा इससे पहले प्रस्तावित सामान्य कंटेनरों के लिए प्रवास समय दर के दो गुने पर ओडीसी कंटेनरों के लिए प्रवास समय प्रभार करने हेतु वर्तमान प्रावधान में उपयुक्त संशोधन करना चाहता है।

(झ) <u>आईसीडी कंटेनरों, पोतान्तरण भरे हुए कंटेनरों और पोतान्तरण खाली कंटेनरों के लिए प्रवास समय प्रभार लगाने के लिए प्रदत्त स्लॅब संरचना को उद्योग जगत के चलन के अनुरूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।</u>

[पैराग्राफ सं. 11 (xix)]

(i) मार्च 2010 का प्रशुल्क आदेश

(xix) कंटेनरों के भंडारण के लिए निःशुल्क प्रवास समय-अवधि के बारे में जीटीआईपीएल ने भरे हुए निर्यात कंटेनर के लिए निःशुल्क अवधि वर्तमान 3 दिन से 7 दिन करने का प्रस्ताव किया है।

आईसीडी कंटेनरों के लिए 15 दिन, पोतान्तरण भरे हुए कंटेनरों के लिए 30 दिन और पोतान्तरण खाली कंटेनरों के लिए 15 दिन की वर्तमान निःशुल्क अवधि को क्रमशः 10 दिन, 7 दिन और शून्य दिन किए जाने का प्रस्ताव है। जीटीआईपीएल ने सूचित किया है कि कंटेनरों का वास्तविक प्रवास समय, वर्तमान व्यवस्था में प्रदत्त निःशुल्क अवधि से कम है और प्रस्तावित व्यवस्था एसएसआईसीटी में प्राप्त हो रही स्थिति के बराबर है। वास्तव में, खाली कंटेनरों के बारे में और आईसीडी भरे हुए कंटेनरों के बारे में जीटीआईपीएल ने एनएसआई में प्राप्त किए जा रहे शून्य

और सात निःशुल्क दिनों की तुलना में, तीन और दस निःशुल्क भंडारण दिवसों से परामर्श किया गया उनमें से किसी ने भी प्रस्तावित परिवर्तनों पर कोई आपत्ति नहीं उठायी है। वर्तमान निःशुल्क प्रवास समय में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया जाता है।

(ii) जीटीआईपीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए बिंदु :

प्रवास समय प्रभार की गणना के लिए जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा, दरमान में अनुमोदित दिनों की स्लॅब /पायदान में अंतर हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है -

(क) खंड डी : आईसीडी - भरे हुए एवं खाली आयात एवं निर्यात कंटेनर्स रेल द्वारा संवाहित :

स्लॅब	**जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तावित**	**प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित**
निःशुल्क दिन	10	10
पहला स्लैब	11-15 दिन	11-30 दिन
दूसरा स्लैब	16-30 दिन	31-45 दिन

(ख) खंड ई : पोतान्तरण -भरे हुए कंटेनर्स

स्लैब	**जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तावित**	**प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित**
निःशुल्क दिन	7 दिन	7 दिन
पहला स्लैब	8-15 दिन	8-45 दिन
दूसरा स्लैब	16-30 दिन	उसके बाद

(ग) खंड एफ : पोतान्तरण - खाली कंटेनर्स :

स्लैब	**जीटीआईपीएल द्वारा प्रस्तावित**	**प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित**
निःशुल्क दिन	शून्य/कोई नहीं	शून्य/कोई नहीं
पहला स्लैब	7 दिन तक	7 दिन तक
दूसरा स्लैब	8-15 दिन	8-30 दिन

यह नोट करने योग्य है कि 15-15 दिन के प्रखंडो में दिनों के स्लैब तैयार करना उद्योग-जगत का चलन है। इस चलन/परंपरा का जेएनपीटी और एनएसआईसीटी में अनुपालन किया जा रहा है। कंटेनरों के कम प्रवास समय प्रभार के अंतगर्त आने से जीटीआईपीएल को राजस्व का घाटा होगा।

(iii) **<u>विश्लेषण :</u>**

विभिन्न प्रचालन आरंभ करने के समय पर, जीटीआईपीएल और एनएसआईसीटी, दोनो ने जेएनपीटी में प्रचलित दर -संरचना को अपनाया, इस प्रकार, जेएनपीटी पर प्रचालन कर रहे सभी टर्मिनल्स की प्रचलित भंडारण स्लैब संरचना समान थी। तदनंतर जेएनपीटी एवं एनएसआईसीटी ने आईसीडी एवं पोतान्तरण कंटेनरों के लिए प्रवास समय प्रभार की स्लैब संरचना में परिवर्तन करने के लिए इस प्राधिकरण को अलग-अलग प्रस्ताव भेजे। जीटीआईपीएल ने इस बारे में एक अलग प्रस्ताव रखने की बजाय, इस विषय को इसके सामान्य संशोधन प्रस्ताव का भाग बना दिया।

मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश का पैराग्राफ सं. 11 (xix) , आईसीडी कंटेनरों और पोतान्तरण भरे हुए और खाली) कंटेनरों से संबंधित निःशुल्क दिनों में कमी/गिरावट का विश्लेषण करते हैं। प्रक्रिया/कार्यवाही में, जो मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश के रूप में परिणत हुआ, जीटीआईपीएल ने, हमारे द्वारा इस आशय का विशेष अनुरोध किए जाने के बावजूद, निःशुल्क भंडारण दिवस घटाने/हटाने के परिणामस्वरूप पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव प्रस्तुत नही ं किया। तथापि, इस प्राधिकरण ने, यथा प्रस्ताव घटाए गए निःशुल्क समय को अनुमोदित कर दिया किन्तु उसने अनुवर्ती/परवर्ती प्रभारों के स्लैब में कोई परिवर्तन लागू नहीं किया।
जीटीआईपीएल ने अब वित्तीय प्रभाव को रू. 3.38 लाख प्रति वर्ष के रूप में स्पष्ट किया है। एनएसआईसीटी, सीसीटीएल एवं जेएनपीटी द्वारा प्रचालित कंटेनर टर्मिनल के वर्तमान दरमानों में प्रदत्त प्रवास समय प्रभार लगाने के लिए स्लैब संरचना सामान्य रूप से 15-15 दिन के प्रखंडो में है। आईसीडी कंटेनरों और पोतान्तरण कंटेनरों (भरे हुए और खाली) के संबंध में भंडारण प्रभारों के लिए स्लैब संरचना, जैसीकि जीटीआईपीएल ने प्रस्तावित की थी, अनुमोदित की जाती है।

(अ) <u>एक दरवाजा खोलने से संबंधि सशर्तता प्रदान करना :-</u>

इस प्राधिकरण में 3 मार्च 2010 के आदेश के पैराग्राफ सं. 11 (xxiv) के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, एक दरवाजा खोलने के लिए रू. 1000/- प्रति कंटेनर प्रभार इस आधार पर अनुमोदित किया कि पड़ौस में एनएसआईसीटी के कंटेनर टर्मिनल में ऐसी ही एक प्रशुल्क मद और दर अनुमोदित की गई है। एनएसआईसीटी, चैन्नैकंटेनर टर्मिनल लिमि. (सीसीटीएल) एवं विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमि. (वीसीटीपीएल) जैसे अन्य कंटेनर टर्मिनलों के दरमानों में एक व्याख्यात्मक नोट के साथ एक दरवाजा खोलने की दर है जो यह कहता है कि एक दरवाजा खोलने संबंधी प्रभार केवल उसी कंटेनर के प्रहस्तन के लिए लागू है जिसमें केवल एक ही दरवाजा खोले रखने की आवश्यकता है।

(जैसेः ब्याज) और जब दरवाजा खोला जाना और उसे सुरक्षित रखना टर्मिनल के भीतर ही किया गया हो, अन्य कंटेनर टर्मिनलों के दरमान में प्रदत्त नोट के अनुरूप, एक दरवाजा खोलना को पारिभाषित करने वाला नोट अब, जीटीआईपीएल के अधिसूचित दरमान में डाला गया है।

एसएसएपीएल ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या कथित सेवा वैकल्पिक है। एनएसआईसीटी में प्राप्त हो रही स्थिति के अनुरूप, एक दरवाजा खोलने (खुलवानें) से संबंधित सेवा वैकल्पिक होगी और जीटीआईपीएल द्वारा, केवल उपयोगकर्ता के अनुरोध पर ही प्रदान की जाएगी।

11.1 ऊपर दिए गए विश्लेषण के प्रकाश में, पिछला अधिशेष, वर्ष 2006 और मार्च 2010 तक के वर्षों के परिमाणीकृत, निम्नलिखित कारण से संशोधित घोषित किया जाता हैः-

(रू. लाखों में)

क्र. सं.	मदें/वस्तुएं	2006	2007	2008	2009	3 माह	2010 कुल
(i)	वित्त एवं विविध आय	-	227.99	-	-	-	227.99
(ii)	आईटीआरएचओ आय का भाग-जेएनपीटी को दिया गया	-	-	-	336.63	84.16	420.79
(iii)	खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन से आय	-	-	-	305.60	76.40	382.00
(iv)	विदेशी मुद्रा हानि	(0.30)	-	-	-	-	(0.30)
	कुल योग	(0.30)	22.7.99	-	642.23	160.56	1030.48

इस प्रकार 2006 से मार्च 2010 तक की अवधि के लिए संशोधित पिछली अवधि का अधिशेष निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

वर्ष 2006 एवं मार्च 2010 तक के वर्षों के लिए अतिरिक्त अधिशेष -जैसाकि मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में निर्धारित है	रू. 11843.59 लाख
घटाइए : ऊपर वर्णित समायोजनों का प्रभाव वर्ष 2006 और मार्च 2010 तक के वर्षों के लिए संशोधित शुद्ध अधिशेष	रू. 1030.48 लाख रू. 10813.04 लाख

11.2 3 मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में अप्रैल 2010 से दिसंबर 2011 तक की अवधि के लिए (पिछले अधिशेष के समायोजन से पहले) परिभाणीकृत (क्वान्टिफाइड) अनुमानित अधिशेष निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः-

क्र.स.	मदें	2010 (9 माह)	2011	कुल योग
1.	पिछले अधिशेष के समायोजन से पहले निर्धारित शुद्ध अधिशेष, मार्च 2010 के आदेश में	167026	3392.22	5062.48
2.	घटाइएः समीक्षा आवेदन के कारण लागू किया गया **समायोजन**			
	(i) जेएनपीटी को भुगतान किया गया आईटीआरएचओ आय का भाग	(252.47)	(336.63)	(580.10)
	(ii) खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन से आय	(229.20)	(305.60)	(534.80)
3.	पिछले अधिशेष के समायोजन से पहले संशोधित शुद्ध अधिशेष	118.59	2749.99	3938.58
4.	पिछले अधिशेष के समायोजन से पहले निर्धारित शुद्ध अधिशेष में भिन्नता (क-ख)	481.67	642.23	1123.90

11.3 चूंकि आईटीआरएचओ की मद में, कोई कमी नहीं लागू की गई है, आईसीडी कंटेनरों के रेल प्रहस्तन प्रचालनों से पैदा होने वाली वर्ष 2011 में रू. 1415.48 लाख की और (वर्ष 2010 के नौ महिनों की अवधि के लिए समानुपातिक रूप से) रू. 1061.61 लाख की अनुमानित संशोधित प्रचालन आय को संशोधित अनुमानित प्रचालन आय में से घटाए जाने की जरूरत है।

11.4 जैसाकि इस विश्लेषण के पिछले भाग में कहा गया है, खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरों में प्रस्तावित संशोधन से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त आय (रू. 152.79 लाख) और आईसीडी तथा पोतान्तरण कंटेनरों के प्रवास समय प्रभार की स्लैब संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त आय (रू. 3.38 लाख) का कुल योग रू. 154.17 लाख रूपये प्रतिवर्ष परिगणित होता है। इस प्रकरण में, आदेश की अधिसूचना में लगने वाले समय पर विचार करते हुए संशोधनों के वित्तीय प्रभाव पर जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 तक ही विचार किया गया है।

11.5 समीक्षा आवेदन में पिछले अधिशेष के समायोजन से पहले निर्धारित शुद्ध अधिशेष में भिन्नता, आईटीआरएचओ आय को छोड़कर, संशोधित प्रचालन आय की प्रतिशतता के रूप में नीचे दर्शायी गई है :-

ऊपर वर्णित समायोजन के बाद 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक की अवधि के लिए पूर्व संशोधित	रू. 93379.44 लाख
प्रशुल्क पर अनुमानित प्रचालन आय जोड़िए : वर्ष 2011 में नई प्रशुल्क मदों से उत्पन्न होने	रू. 1+7156.17 लाख

वाली अतिरिक्त आय घटाइएः आईटीआरएचओ आय	 रू. 1-72477.09 लाख
संशोधित प्रचालन आय	रू. 91058.52

मार्च 2010 के आदेश में और समीक्षा आवेदन में पिछले अधिशेष के समायोजन से पहले निष्पादित शुद्ध अधिशेष से भिन्नता	रू. 1123.90 लाख
संशोधित प्रचालन आय के %के रूप में भिन्नता	1.23%

12.1 उपरोक्त विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2010 के आदेश में निर्धारित शुद्ध अधिशेष जीटीआईपीएल द्वारा दाखिल किए गए समीक्षा आवेदन के कारण किए गए समायोजन का प्रभाव 1.23 तक ही है। इस प्रकार, समीक्षा आवेदन से उभरने वाली भिन्नता का प्रभाव मामूली सा है। मार्च 2010 में आदेशित प्रशुल्क की एक वर्ष से कुछ अधिक समय के भीतर समीक्षा की जानी है। यहां यह उल्लेख करना भी समुचित होगा कि जनवरी 2009 से मार्च 2010 तक की अवधि के लिए पिछला अधिशेष अनुमानों पर आधारित है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और प्रशुल्क में स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से, मार्च 2010 के आदेश के माध्यम से, पहले अर्जित करेगा, जैसाकि पहले बताया गया है। इसलिए रू. 16.17 लाख की अतिरिक्त आय अनुमोदित दरों को छेड़ा नहीं गया है। यह नोट करना भी उचित होगा कि प्रशुल्क के स्तर में यथास्थिति बनाए रखकर, पिछले अधिशेष की उपलब्धता के कारण, जीटीआईपीएल किसी कठिनाई का सामना नहीं करेगा।

12.2 गिरावट/कमी की वही दर बरक़रार रखकर , जो मार्च 2010 के आदेश में लागू की गई थी। अप्रैल 2010 से दिसंबर 2011 तक की अवधि में समायोजित किए जाने वाले पिछले अधिशेष की राशि में परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान दरमान की वित्तीय स्थिति को बरक़रार रखने के लिए अप्रैल 2010 से दिसंबर 2011 तक की अवधि के लिए रू. 5156.58 लाख की राशि चाहिए। जीटीआईपीएल, अनुमोदित किए जाने वाले प्रशुल्क समायोजनों से, जनवरी 2011से दिसंबर 2011 तक की अवधि में रू. 15.17 लाख की अतिरिक्त आय समायोजित करने के बाद रू. 5000.41 लाख शेष बचा पिछला अधिशेष अप्रैल 2010 से दिसंबर 2011 तक की अवधि में समायोजित किया जाना होगा। इस प्रकार, मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश में घोषित रू. 7698.28 लाख की राशि की बजाय, वर्ष 2012 से आरंभ होने वाले अगले प्रशुल्क चक्र में रू. 5812.63 लाख की राशि समायोजित की जाएगी। संशोधित लागत विवरणी संलग्नक -I के रूप में संलग्न है।

12.3 चूंकि जीटीआईपीएल के दरमान में संशोधनों से पैदा होने वाले वित्तीय प्रभाव पर जनवरी 2011 से विचार किया गया है, संशोधित प्रवाधान 1 जनवरी 2011 से प्रभावी होंगे।

13. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्रविचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित निर्णय लेता हैः-

(i) मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश के माध्यम से, पहले से आदेर्शित दर गिरावट की मात्रा में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है।

(ii) पिछली अवधि (वर्ष 2006 और मार्च 2010 तक) से संबंधित असमायोजित पिछला अधिशेष रू. 5812.63 लाख पर वर्ष 2012 से आरंभ होने वाले प्रशुल्क चक्र से समायोजन के लिए विचार किया जाना है।

(iii) दिनांक 3 मार्च 2010 के आदेश के माध्यम से अधिसूचित जीटीआईपीएल के वर्तमान दरमान में प्रावधान निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं।

(क) खंड - 3 के अंतर्गत वर्तमान उपखंड 'ए ' निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

'ए' पत्तन के क्रेनों का उपयोग करते हुए :-

विवरण		विदेशगामी (रू. में)		तटीय (रू. में)		
	20 फीट	40 फीट	40 फीट से बड़ा	20 फीट	40 फीट	40 फीट से बड़ा
भरा हुआ कंटेनर	3451.50	5177.25	6903.00	2070.90	3106.35	4141.80
आईसीडी कंटेनर	3451.50	5177.55	6903.00	2070.90	3106.35	4141.80
पोतान्तरण कंटेनर	3982.60	5973.75	7965.00	2389.50	3584.25	4779.00

(ख) खंड - 9 के अंतर्गत उपखंड - एफ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :
'एफ ' एक दरवाजा खोलने संबंधी प्रभार - प्रति कंटेनर रू. 1000.00
(एक दरवाजा खोलने संबंधी प्रभार कंटेनर के प्रहस्तन के लिए लागू किया जा सकता है जिसमें कंटेनर का एक दरवाजा खुला रखने की आवश्यकता होती है (जैसे - ब्याज़) और दरवाजा खोलना और उसकी सुरक्षा टर्मिनल में ही की जाती है।

(ग) खंड -10 के अंतर्गत उपखंड ठी, ई एवं एफ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया हैः डी - रेल द्वारा संवाहित आईसीडी-भरे हुए और खाली आयात तथा निर्यात कंटेनर

विवरण	विदेशगामी (रू. में)			तटीय (रू. में)		
	20 फीट	40 फीट	40 फीट से बड़ा	20 फीट	40 फीट	40 फीट से बड़ा
पहले 10 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
11 से 15 दिन	3.03	6.07	9.10	141.66	283.32	424.95
16 से 30 दिन	6.07	12.13	18.20	283.32	566.64	849.87
उसके बाद	12.13	24.26	36.40	566.64	1133.28	1699.74

ई. पोतान्तरण भरे हुए कंटेनर

विवरण	विदेशगामी (रू. में)			तटीय (रू. में)		
	20 फीट	**40 फीट**	**40 फीट से बड़ा**	**20 फीट**	**40 फीट**	**40 फीट से बड़ा**
पहले 7 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
8 से 15 दिन	3.46	6.91	10.37	161.37	322.79	484.20
16 से 30 दिन	6.90	13.81	20.71	322.38	644.79	967.10

एफ. पोतान्तरण खाली हुए कंटेनर

विवरण	**विदेशगामी (रू. में)**			**तटीय (रू. में)**		
	20 फीट	**40 फीट**	**40 फीट से बड़ा**	**20 फीट**	**40 फीट**	**40 फीट से बड़ा**
पहले 7 दिन	3.46	6.91	10.37	161.37	322.79	484.20
8 से 15 दिन	6.90	13.81	20.71	322.38	644.76	967.10
उसके बाद	13.81	27.61	41.42	644.76	1289.48	1934.19

(घ) खंड - 10 के अंतर्गत नोट में वर्तमान सब-नोट (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(ii) अत्यंधिक ऊंचाई और अत्यधिक आकार वाले कंटेनरों के लिए प्रवास समय प्रभार लगने वाले सामान्य प्रभार का दोगुना होगा।

(iv) संशोधित प्रावधान 1 जनवरी 2011 से प्रभावी होंगे।

(v) यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2009 से 2011 तक ग्राह्य लागत और जीटीआईपीएल को प्रोदभूत होने वाले अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक संपूर्ण अतिरिक्त अधिशेष पर अगले चक्र में समायोजन के लिए केवल तब विचार किया जाएगा यदि अनुमानित एवं वास्तविक यातायात के बीच भिन्नता +/- 20% से अधिक होगा, जैसा मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 में अनुंबंधित हैं।

(रानी जाधव)

अध्यक्ष

गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीटाईपीएल)
समीक्षा के बाद 2006 से 2011 तक के वर्षों के लिए समेकित लागत विवरण

अ.क्र	विवरण	वर्ष 2006, 2007 और 2008 के लिए वास्तविक और प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के बाद वर्ष 2009 और मार्च 2010 तक के लिए अनुमान					अप्रैल से दिसंबर 2010 तक की अवधि और वर्ष 2011 के अनुमान जैसे मार्च 2010 के आवेश में विचार किए गए		अप्रैल से दिसंबर 2010 तक की अवधि और वर्ष 2010 के अनुमान जैसी प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की गई	
		2006	2007	2008	2009	2010*	2010**	2011	2010***	2011
	यातायात (टीईयू में)	387873	1178415	1520778	1518034	379508	1138525	1518034	1138525	1518034
I	कुल प्रचालन आय									
	(i) कंटेनर प्रहस्तन आय	1205324309	4063519815	5448609784	5335968323	1333992081	4050143354	5400191138	4001976242	5335968323
	कुल	1205324309	4063519815	5448609784	5335968323	1333992081	4050143354	6400191138	4001976242	5335968323
II	प्रचालन लागत (मूल्य ह्रास छोड़कर)									
	(i) प्रचालन एवं प्रत्यक्षश्रम	3109812	44374526	63984345	76659740	17578561	52735683	67113606	52735683	67113606
	(ii) उपकरण प्रचालन लागत	156700271	306125419	440870403	542819279	136174434	408523303	563327511	408523303	563327511
	(iii) उपकरण किराया	59242262	167908361	21580526S	314233000	83114629	249343886	351741108	249343886	351741108
	(iv) रियायत करार के अनुसार देय पट्ट किराए	230718869	300600193	312722090	323425952	83857009	251571026	349634128	251571026	349634128
	(v) बीमा	48143212	52660795	45057372	47670699	12608900	37826700	53360865	37826700	53360865
	(vi) अन्य व्यय	19310177	21821516	34370001	36363461	9618136	28854407	40703950	28854407	40703950
	(vii) तकनीकी सेवा शुल्क	-	-	142334266	148898400	39091275	117273825	164161575	117273825	164161575
	कुल (iसे vii)	**517224603**	**893490810**	**1255143746**	**1490070531**	**382042943**	**1146128829**	**1590042742**	**1146128829**	**1590042742**
III	मूल्य ह्रास	278869463	851183614	955872704	1245332374	331289153	993867460	1288063033	993867460	1288063033
IV	उपरिव्यय									
	(i) प्रबंधन एवं प्रशासन उपरिव्यय	135268332	194672866	266283759	302328217	79965813	239897440	338415322	239897440	338415322
	(ii) सामान्य उपरिव्यय	208832722	321867188	450444844	476570645	126052936	378158807	533456023	378158807	533456023
	(iii) प्राथमिक व्यय एवं अपफ्रंट भुगतान राइट ऑफ	20500000	20500000	20500000	20500000	5125000	15375000	20500000	15375000	20500000
	कुल (i से vii)	**364601054**	**637040054**	**737228603**	**799398862**	**211143749**	**633431246**	**892371345**	**633431246**	**892371345**
V	प्रचालन अधिशेष/(घाटा) (IJ -(II)-(III)-(IV)	44629189	1781805337	2500364731	1801166557	409516235	1276715818	1629714019	1228548706	1566491204
VI	वित्त एवं विविध आय (एफएमटाई)	1286691	17193891	36517280		-	-	-	-	-
VII	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)	-	-	-	-		-	-	. -	-
V1U	एफ एम आई-एफ एम ई (VI) - (VII)	1286691	17193891	36517280	-	-	-	-	-	-
IX	ब्याज और कर से पहले अधिशेष (V) + (VUI)	45915880	1798999228	2536882011	1801166557	409516235	1276715818	1629714010	1228848706	1885801204
X	नियोजित पूंजी	791179233	8532643907	8810577749	10311174734	2311853344	6935560032	8065576898	6935560032	8065576898
XI	नियोजित पूंजीपर प्रतिलाभ	890007664	1279896586	1321586662	1649787957	369896535	1109689605	1290492304	1109689605	1290492304
XII	क्षमता उपयोग	64.58%	88.69%	95.39%	76.17%	76.00%	76.00%	76 17%	76 00%	76.17%
XIII	क्षमता उपयोग के लिए समायोजित आरओसीई	890007664	1279896586	1321586662	1649787957	369896535	1109689605	1290492304	1109689605	1290492304
XIV	शुद्ध अधिशेष/(अधिशेष) (IX) - Xill)	-844091783	519102642	1215295349	1513799	33619700	167026213	333221715	118859101	24938900
XV	जीटीआईपीएल द्वारा 2006 से 2009 तक अर्जित प्रतिलाभ के बाद वास्तविक शुद्ध अधिशेष तथा जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक की अवधि के लिए प्रति लाभ के बाद अनुमानित शुद्ध अधिशेष का समायोजन अप्रैल 2010 से दिसंबर 2014 तक 5 समान किश्तों में	1081304508					177652730	236870306	214303423	285737897
XVI	जीटीटाईपीएल का कुल अधिशेष			-	-	-	344678942	576092021	333162524	560736797
XVII	शुद्ध अधिशेष/(घाटा) प्रचालन आय के % के रूप में (XIV/I)	-	-	-	-	-	8.51%	10.67%	8.32%	10.51%
XVIII	औसत शुद्ध अधिशेष/(घाटा) प्रचालन आय के % के रूप में	-	-	-	-	-		9.74%		9.57%

नोट :

* जनवरी 2010से मार्च 2010 तक 3 माह की अवधि के लिए अनुमान

* अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010 तक 9 माह की अवधि के लिए अनुमान